सामाजिक अध्ययन शिक्षण

एक प्रयोग

एकलव्य

विषय सूची

1. कार्यक्रम परिचय 1

2. सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक का स्वरूप कैसा हो? 3

3. विषय वस्तु का चुनाव

इतिहास 9

भूगोल 16

नागरिक शास्त्र 25

4. छात्रों का मूल्यांकन 32

परिशिष्ट 1 : पाठ्यक्रम 35

परिशिष्ट 2 : प्रश्नपत्र के नमूने 45

प्रथम संस्करण : जनवरी 1994

चित्र : मुख्य आवरण : भीमबैटिका समूह से शैलचित्र

पिछला आवरण : महाराष्ट्र में पाई गई चार हज़ार साल पुरानी कांसे की बैलगाड़ी

इतिहास भूगोल बड़े बेवफा

रात को रटे सुबह सफा।

जिस विषय की ऐसी बदनामी हो, उसकी पढ़ाई में सुधार करने की कोशिश हमने शुरू की. कुछ विचार किया, कुछ पाठ लिखे, और कुछ बच्चों को कक्षा में शिक्षकों के साथ पढ़ा कर देखे. जब बात बनती-सी लगी तो मध्य प्रदेश शासन से अनुमति ली और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल के सौजन्य से 9 शासकीय माध्यमिक शालाओं में कार्यक्रम लागू किया. यह सन् 1986 की बात थी. और स्कूल थे कुछ होशंगाबाद-इटारसी के पास, कुछ हरदा के पास व कुछ देवास के पास, और एक स्कूल था भोपाल शहर में.

स्कूलों में जाकर बच्चों और शिक्षकों के साथ, एक-एक कर के पाठ्य पुस्तकें तैयार होती गईं. कक्षा 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की एक बार तैयार हुईं, फिर उनका संशोधन हुआ, फिर दुबारा छपीं. ऐसी प्रक्रिया चलती रही.

इस बीच शिक्षकों का कई बार प्रशिक्षण हुआ, नए ढंग के प्रश्न पत्र बने, नए ढंग से मूल्यांकन का तरीका बना, और बोर्ड परीक्षा में भी खुली पुस्तक प्रणाली को अपनाया गया. कोशिश थी कि रटने रटाने का हौवा बच्चों व शिक्षकों के मन से हटा दिया जाए.

बच्चों, शिक्षकों और विषय के ज्ञाताओं विद्वानों का अगाध उत्साह इस कार्यक्रम को पनपाता रहा.

क्या सोच थी, क्या कोशिश थी - यह पढ़िए आगे के पन्नों में।

सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का स्वरूप कैसा हो?

वर्तमान पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा के दौरान हमने पाया है कि इनमें जानकारी को बहुत ही सरसरी तौर पर प्रस्तुत किया जाता है. शायद इसके पीछे धारणा यह है कि बच्चों के लिए संक्षिप्त जानकारी ही उपयुक्त है, और विस्तार केवल ऊंची कक्षाओं में उचित है.

हमारा मानना है कि संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण से बच्चे न समझ पाते हैं, न सीख पाते हैं: केवल रट पाते हैं. अगर हम यह अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक छात्र को अवधारणाएं समझाएं तो पाठ्य पुस्तक को इसमें उनकी मदद करनी चाहिए

किसी भी बात या अवधारणा को सारांश के रूप में प्रस्तुत कर पाना एक महत्वपूर्ण कौशल है. शाला में तीन वर्ष की पढ़ाई के दौरान बच्चों में इस कुशलता का विकास ज़रूरी है. लेकिन जब पाठ्य पुस्तकें स्वयं ही सारांश के रूप में लिखी जाएं तो उनके द्वारा अवधारणा समझकर आत्मसात करने की गुंजाइश नहीं रहती है. ऐसे में छात्रों के पास एक ही विकल्प बचता है - रट लेना या फिर और भी सरल, कुंजियों की तलाश करना.

तो फिर, अवधारणाओं व उनके साथ कई कुशलताओं को विकसित करने का उद्देश्य लेकर लिखी जाने वाली पुस्तक कैसी होनी चाहिए और उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए?

सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि जिस विषय के बारे में चर्चा करना है, उसकी एक सरल, साफ और जीवंत छवि छात्रों के मन में बने. इसी छवि या जीवंत चित्र के आधार पर छात्र अवधारणाओं को आत्मसात कर सकते

हैं, व्यक्त कर सकते हैं और सोच विचार कर सकते हैं. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने अपने द्वारा रचित पाठ्य पुस्तकों में कई उपाय अपनाए-

1. विषय वस्तु का चुनाव

पाठ्यक्रम का चुनाव करने में यह दृष्टि अपनाई गई कि विषय बच्चों के लिए सार्थक हों और बच्चों की क्षमताओं और रुचियों के अनुरूप हों। इतिहास - भूगोल आदि में "इतना-इतना तो पढ़ाना ही है" - ऐसी किसी बाध्यता को मानने की बजाए सार्थक सोच समझ को बढ़ावा देने का उद्देश्य सर्वोपरि माना गया।

2. भाषा की सरलता

इससे तो कोई असहमत नहीं होगा कि पाठ्य पुस्तकों की भाषा सरल होनी चाहिए. फ़िर भी वर्तमान पाठय पुस्तकों की भाषा लगातार क्लिष्ट होती जा रही है. प्रत्येक वाक्य में पारिभाषिक और अवधारणात्मक शब्दों को ठूंसने की प्रवृत्ति है. हमने कोशिश की हैं कि यथासंभव आम बोलचाल की भाषा में ही पाठ हों. जहां कहीं कठिन या नए शब्दों का प्रयोग ज़रूरी है वहां इन शब्दों को समझाकर ही शामिल किया जाए. फिर इन शब्दों के उपयोग को दोहराया जाए ताकि उनका अर्थ छात्रों के मन में बैठ जाए. यह ज़रूर है कि कार्य कारण समझाने वाले पाठ्यांश जिनमें अवधारणाओं को खास तौर पर समझाया जाता है, बच्चों के लिए काफी 'भारी' पड़ते हैं. इन्हें ज़्यादा विस्तार से लिखने की कोशिश की गई है ताकि तर्क का क्रम भी रहे और पाठ बोझिल भी न बने.

3. अवधारणाओं का विस्तृत एवं रोचक प्रस्तुतिकरण

बच्चे आम तौर से अमूर्त पारिभाषिक चिंतन नहीं कर पाते हैं - वे हमेशा स्थिति विशेष के सापेक्ष ही चिंतन करते हैं. इस कारण अवधारणाओं को उभारने के लिए ठोस स्थितियों का विस्तृत विवरण ज़रूरी है. उदाहरण के

लिए हमने अलग-अलग तरह के औद्योगिक संगठनों के बारे में बताया है - कुटीर उद्योग, दादन प्रथा, छोटा कारखाना, बड़ा कारखाना आदि. इसे हम परिभाषाओं के द्वारा भी बता सकते हैं कि 'फलां-फलां क्रिया को कुटीर उद्योग कहते हैं.' लेकिन हमने ऐसा न करके हरेक का एक उदाहरण लेकर, उसकी पूरी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है. जैसे बीड़ी उद्योग, बर्तन उद्योग, चमड़ा कारखाना. फिर इनकी आपसी तुलना के द्वारा सामान्य निष्कर्ष और अवधारणाओं को उभारा है.

4. कहानियों का उपयोग

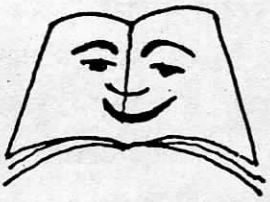

हमने अपनी पुस्तकों में कहानियों का विशेष उपयोग किया है - इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तीनों में. कहानियां बच्चों के लिए आकर्षक हैं और इनसे पाठ्य पुस्तक की सरलता बढ़ती तो है. लेकिन इनका एक शैक्षणिक मकसद भी है. कहानियों से किसी भी चीज़ की एक ठोस छवि बनती है, जिससे सामान्य बातों को उभारना आसान हो जाता है. लेकिन सामाजिक अध्ययन में जो कहानियां हैं उनमें एक अंतर है. हमें यह देखना है कि बच्चे कहानी में ही न खो जाएं, बल्कि उसमें निहित सामान्य बातों को पकड़ पाएं. इसके लिए हमने कहानी के प्रवाह को बीच-बीच में रोक कर सामान्य बातों पर ध्यान खींचा है, प्रश्न पूछकर बच्चों को सोचने के लिए मजबूर किया है. हमारा अनुभव रहा है कि यह तरीका काफी कारगर है और बच्चों और शिक्षकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है.

5. चित्रों का उपयोग

पाठ्य पुस्तकों में चित्रों और मानचित्रों का बहुत महत्व है. लेकिन वर्तमान पुस्तकों में उन पर खास ध्यान नहीं दिया जाता है. चित्र-मानचित्र हैं भी तो उनका पाठ में उपयोग नहीं किया जाता है. उन्हें केवल एक 'रिलीफ' के रूप

में रखा जाता है. किसी देश या समय की समझ बनाने में, मन में उनकी छवि बनाने में चित्रों-मानचित्रों का विशेष योगदान है. जो बात हम कई पन्नों में नहीं समझा पाते हैं वह एक ही चित्र से प्रस्तुत कर सकते हैं. इसी तरह आर्थिक व राजनीतिक ढांचों को भी रेखाचित्रों द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है. हमने पुस्तक में चित्रों-मानचित्रों का सार्थक उपयोग करने की कोशिश की है. इसके लिए पाठ के बीच में उनसे संबंधित प्रश्न पूछकर उनका विशेष अध्ययन भी करवाया है.

6. जटिल अवधारणाओं को क्रम से विकसित करना

जटिल अवधारणाओं को तर्क के अनुसार कई कड़ियों में बांटा जा सकता है. इन्हें सिलसिलेवार, कड़ियों में पढ़ाया जा सकता है. जैसे, नागरिक शास्त्र में 'जनतांत्रिक व्यवस्था' एक 'कॉम्पोज़िट' अवधारणा है - जिसमें चुनाव, प्रतिनिधित्व, लोगों के प्रति जवाबदारी, बहुमत का शासन आदि अवधारणाएं हैं. इन्हें एक-मुश्त एक पाठ में ही बताने की बजाय छठवीं से लेकर आठवीं तक अलग-अलग पाठों के ज़रिए विकसित करने की कोशिश की गयी है.

7. सामाजिक अध्ययन में गतिविधि क्या हो?

शिक्षा शास्त्र में यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि अवधारणाओं को सिखाने के लिए गतिविधि एक प्रमुख साधन है. गतिशील छात्र ही सीख सकते हैं. अतः छात्रों को गतिशील बनाना हर शैक्षिक नवाचार का उद्देश्य रहा है.

विज्ञान में बच्चे प्रयोग करके सीख सकते हैं, मगर सामाजिक अध्ययन में नहीं. हमने काफी प्रयत्नों के बाद, तीन मुख्य गतिविधियों को पहचाना जो सहज रूप से कक्षा में करवाई जा सकती हैं. -

क) बीच-बीच में प्रश्न - आमतौर पर कक्षा में 'तू-पढ़' पद्धति से काम किया

जाता है. यह देखा जाता है कि शिक्षक बारी-बारी से छात्रों को खड़ा करवाकर पाठ पढ़वाते हैं. छात्र पाठ फरटि से पढ़ते जाते हैं, पढ़कर ख़त्म कर देते हैं. फिर शिक्षक प्रश्नोत्तर बोर्ड पर लिखवा देते हैं और पाठ समाप्त! हमने अपने पाठों के बीच-बीच में प्रश्न डाले हैं - ताकि शिक्षक रुककर छात्रों से प्रश्न पूछ सकें और यह जांच कर सकें कि छात्र पाठ को समझ रहे हैं या नहीं.

पाठय पुस्तक में बीच-बीच में आने वाले ये प्रश्न कई तरह के हैं - काफी सारे तो केवल 'कॉम्प्रिहेंशन' के हैं व कठिन शब्द व भाषा के अर्थ से संबंधित हैं. कुछ प्रश्न चित्रों, नक्शों व तालिकाओं से जानकारी हासिल करने के हैं. और कई सारे अवधारणात्मक प्रश्न हैं जिनमें बच्चों को चर्चा करके उत्तर खोजना है.

कई प्रश्न तुलना के हैं - दो अलग-अलग समय के बीच तुलना करके बदलाव को पहचानना या अलग-अलग जगहों में व अलग-अलग स्थितियों में फर्क पहचानना.

पाठ के बीच-बीच में आए इन प्रश्नों को हल करते हुए बच्चे सामग्री पर ग़ौर करते हैं और ग्रहण भी करते हैं. शिक्षक और छात्रों के बीच चर्चा हो पाती है.

ख) बच्चों के अनुभव व जानकारी का उपयोग - 10-15 साल के बच्चों के पास अपने समाज के अवलोकन से प्राप्त ज्ञान और समझ का बड़ा भंडार रहता है. आमतौर पर सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में इस भंडार का कोई उपयोग नहीं होता है. मगर इसका उपयोग शिक्षण की एक बहुत ही कारगर विधि बन सकता है.

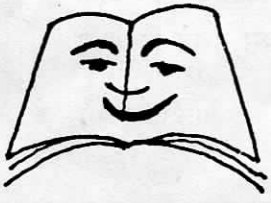

हमारी पुस्तकों में बीच-बीच के सवालों में कई ऐसे हैं जो बच्चों की जानकारी व अनुभवों को उभारते हैं व पाठ की विषय वस्तु से जोड़ते हैं.

उदाहरण के लिए 'छोटे-बड़े-मध्यम' किसानों की श्रेणियों को समझाना जटिल है. पर बच्चों के अनुभव व जानकारी पर चर्चा करने से इन अवधारणाओं को समझाने में बहुत मदद मिलती है. इसी तरह भूगोल में दूसरे प्रदेशों व देशों की जानकारी को और इतिहास में दूसरे काल की जानकारी को अपने परिवेश से तुलना करके देखने में भिन्न स्थितियों की विशिष्टता की समझ बेहतर बनती है. कई पाठों के बीच-बीच में हमने ऐसे प्रश्न डालने की कोशिश की है.

ग) पुस्तक के उपयोग का अभ्यास - सामाजिक अध्ययन में लिखित माध्यम से समझने और अभिव्यक्त करने की कुशलता का महत्व सर्वोपरि है. मुख्य बातें बताना, संक्षेप में कहना, पढ़े हुए अंश का विषय समझना, अपने शब्दों में वही बात कहना, किसी विषय से संबंधित जानकारी किन वाक्यों में है यह पहचानना, किसी विषय से संबंधित जानकारी पाठ के किस उपशीर्षक के तहत मिलेगी यह समझना - ऐसी कुशलताएं हैं जिनके अभ्यास से ही छात्रों को सामाजिक अध्ययन में सक्षम बनाया जा सकता है. हमने विशेष ध्यान देकर कई अभ्यासों के माध्यम से इन कुशलताओं का अभ्यास करवाने की कोशिश की है.

परीक्षा में भी इन कुशलताओं को विशेष महत्व दिया है. इसी परिप्रेक्ष्य में हमने खुली पुस्तक परीक्षा की प्रणाली को अपनाया है क्योंकि हम छात्रों की रटने की क्षमता के बजाय सोचने, समझने और किताब का बुद्धिमत्ता से उपयोग कर पाने की क्षमता के मूल्यांकन को सबसे अधिक महत्व देना चाहते हैं. जैसा कि यहां बताई बातों से स्पष्ट होगा, पूरी किताब का स्वरूप ही इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर निर्मित करने का प्रयास हमने किया है.

●●●

विषय वस्तु का चुनाव

● इतिहास ●

वर्तमान में जो इतिहास की पुस्तकें हैं, उनमें अपने देश का इतिहास पाषाण काल से सन् 1947 तक क्रम से दिया रहता है. हर काल की मुख्य घटना, मुख्य पुरुषों की जीवनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन की बातें संक्षेप में बताई जाती हैं.

हमने भी अपने पाठ्यक्रम में पाषाण काल से लेकर 1947 तक का इतिहास क्रम से दिया है. मगर हमारा मुख्य उद्देश्य पूरे इतिहास की जानकारीं संक्षेप में देना नहीं है, बल्कि छात्रों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराना है. अतः हमने पाठ्य सामग्री का चुनाव और विषय की प्रस्तुति इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की.

ऐतिहासिक दृष्टिकोण के पहलू

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारा क्या तात्पर्य है, और समाज के अध्ययन में उनकी क्या भूमिका है? हमने जिन पहलुओं को महत्वपूर्ण माना, वे इस प्रकार हैं :

1. सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव की खोज करना. समय के साथ क्या बदलाव हुए और कौनसी बातें वैसी ही बनी रहीं - यह पहचानना.
2. समाज की अलग-अलग प्रक्रियाओं का एक-दूसरे से संबंध खोजना, उनके कारण खोजना. ये संबंध व कारण तात्कालिक भी हो सकते हैं और मूलभूत या ढांचागत भी.
3. आज के हमारे जीवन पर बीते हुए समय की प्रक्रियाओं की छाप व असर पहचानना.

4. समाज में व्यक्ति की भूमिका को उसके समय की संपूर्ण परिस्थिति के संदर्भ में समझना
5. यह समझना कि बीते समय की जानकारी किस तरह के स्रोतों से, किन तरीकों से प्राप्त की जाती है?
6. बीते समय की बातों के बारे में अपना संतुलित मत बनाना.

बच्चों का मानसिक स्तर

यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठेगा कि इनमें से कौन-सी बातें 11-15 वर्ष की उम्र के छात्रों को सिखाई जा सकती हैं? प्रत्येक पहलू को किस प्रकार और किस स्तर तक पढ़ाया जा सकता है? हमने उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप कई पाठ तैयार किए और प्रयोग के बतौर स्कूल में पढ़ाकर देखा. उससे मिले 'फीडबैक' के अनुरूप बदलाव किए - अलग-अलग उद्देश्यों पर दिए गए ज़ोर को कम-ज़्यादा किया..... इसी बात की चर्चा हम विस्तार से अब करेंगे.

1. निरंतरता और बदलाव :

माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए समाज में बदलाव और निरंतरता की प्रक्रिया को पहचानना, सीखना संभव है और यह उनके स्तर के लिए अच्छी खासी उपलब्धि है. दो समय के बीच तुलना करना और बता पाना कि कौनसी नई बातें आई हैं, बच्चे बखूबी कर पाते हैं - व्यक्त भी कर पाते हैं. ऐतिहासिक समझ की उपरोक्त सभी बातों में से हमने इस बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है. उदाहरण के लिए कक्षा छः के पाठों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :

- जब खेती होने लगी और गांव बसे, तब शिकारी मानव के जीवन की कौनसी बातें बदलीं, कौनसी वैसी ही बनी रहीं,
- पशुपालक आर्य, खेती करने वाले आर्य, महाजनपद और अशोक के साम्राज्य में क्रमशः राजा, बाह्मण, यज्ञ, लगान, सेना, युद्ध आदि की भूमिका कैसे बदली.

इन तुलनाओं से कबीलाई व्यवस्था से राज्य व्यवस्था का विकास स्पष्ट होता है. इसी तरह कक्षा 7 और कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में भी मध्ययुगीन व आधुनिक कालीन भारत के समाज में होने वाले मुख्य परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

पर, निरंतरता और बदलाव की समझ विकसित करने की कुछ शर्तें हैं. हालांकि इतिहास के पाठों में विकास और बदलाव की बातें निहित रहती हैं, मगर बच्चों में इस नज़रिए को विकसित करने के लिए कुछ ज़रूरतें हैं. सामग्री का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो कि परिवर्तन की प्रक्रिया ठोस रूप से उभरकर आए, उसकी ठोस छवि बने, उस पर ध्यान केंद्रित हो और विकास के क्रम को पहचानने का सटीक अभ्यास हो. जैसे, जब तक बच्चों के मन में मुग़ल काल के किसानों का जीवन एक जीवंत चित्र के रूप में नहीं उभरता है, वे उसकी तुलना अंग्रेज़ों के समय के या आज के किसानों से कैसे कर सकते हैं? इसी तरह बार-बार उनके ध्यान को इन बदलावों की ओर न खींचा जाए और उनसे तुलना न करवाई जाए तो वे इस कुशलता को हासिल नहीं कर सकते हैं. इस संदर्भ में यह भी बहुत ज़रूरी है कि हर पाठ का एक स्पष्ट केन्द्र बिंदु हो और उसमें असंबद्ध बातों की जानकारी न दी जाए.

2. कारण व संबंध समझना :

हमारा अनुभव है कि माध्यमिक स्तर के बच्चे तात्कालिक कारणों व संबंधों को तो समझ पाते हैं मगर उनमें मूलभूत या ढांचागत कार्य-क्कारण संबंधों की अवधारणाएं बहुत ही सीमित हैं. किसी भी चीज़ का कारण पूछने पर वे इन तकियाकलामों का प्रयोग करते हैं- प्रश्नः "शिकारी मानव क्यों घूमते रहते थे?" - उत्तरः "उन्हें घर बनाना आता नहीं था", "उन्हें ज्ञान नहीं था" या "उस समय जनसंख्या कम थी" किसी भी सामाजिक प्रक्रिया के कारण पूछने पर प्रायः यही उत्तर मिलते हैं. हमने कोशिश की कि पाठ्यसामग्री ऐसी बने कि छात्र इससे ज़्यादा ठोस स्तर पर कारण समझ पाएं. इस प्रयास को हमें कई स्तरों में बांटना पड़ा, और बहुत गहरी व कठिन बातों को लगातार प्रयोग के बाद हटाना पड़ा,

या कम करना पड़ा. कारण/संबंध समझाने के लिए ठोस और विस्तृत वर्णन तो ज़रूरी है ही, लेकिन कई जटिल कारण (जिनका संबंध पूरे सामाजिक ढांचे से है) चाहे जितने ठोस वर्णन से बताएं, बच्चों की समझ से परे हो जाते हैं. तो किस स्तर के कार्य-कारण संबंध हम बच्चों को समझाएंगे, इसे तय करने के लिए हमें लगातार प्रयोग करने पड़े.

उदाहरण के लिए - शिकारी मानव एक जगह क्यों नहीं रहते थे जबकि खेती करने वाले स्थाई बस्तियों में रहते थे? इसका कारण तो बच्चे ग्रहण कर पाए कि शिकारी मानव को एक जगह से भोजन नहीं मिलता था. लेकिन शिकारी झुण्डों की आबादी खेतिहर बस्तियों की आबादी से कम घनी क्यों थी? यह बच्चे ग्रहण नहीं कर पाए. यह मूलभूत आर्थिक ढांचे से जुड़ी बात थी, जिसे पकड़ने के लिए कई स्तरों का तर्क ज़रूरी था.

लेकिन हमने देखा कि कई ऐसे भी ढांचागत कारण हैं, जो सरल हैं और बच्चे उन्हें आसानी से आत्मसात कर पाते हैं - जैसे, शिकारी मानव आपस में मिल बांटकर क्यों खाते थे? इसका कारण बच्चे झट से समझ पाए.

अतः जहां-जहां संभव व सहज था, हम गहरे कार्य-कारण संबंधों तक गए, कहीं हमने ऐसे संबंधों को छुआ तक नहीं, और कहीं उनका हल्का आभास भर दिया. इस महत्वपूर्ण अवधारणा के विकास और छात्रों की मानसिक क्षमता के बीच एक नाज़ुक और गतिशील संतुलन बनाए रखने की कोशिश हम करते रहे.

3. अपने जीवन पर इतिहास का असर देख पाना :

पाठ्य सामग्री के चयन में हमने ऐसे मसलों पर ज़्यादा ज़ोर दिया है, जो छात्रों के परिवेश पर प्रकाश डाले. घुमक्कड़ जीवन और स्थाई जीवन, रीति-रिवाज़ और संस्कृति, औज़ार व घड़े-चूल्हे जैसी उपयोग की चीज़ें, आपसी व्यवहार के नियम-मूल्य, शासक और प्रजा के रिश्ते, मालिक-मज़दूर

के रिश्ते, गुटीय राजनीति, साहूकार-कर्ज़दार के रिश्ते, ज़मीन-जंगल जैसे साधनों की उपलब्धता एवं उन पर अधिकार की समस्याएं आदि तमाम बातें आज भी हमारे परिवेश का भाग हैं. जब इनके इतिहास की बात ठोस व जीवंत रूप से की जाती है और वर्तमान से तुलनात्मक संवाद बनाया जाता है, तो छात्रों की रुचि और वैचारिक जागरूकता बराबर बनी रहती है.

जहां-जहां उपयुक्त अवसर था वहां-वहां इतिहास की बात का आज के जीवन पर स्पष्ट असर दिखाने की हमने कोशिश की. इस तरह इतिहास शिक्षण को आज के परिवेश से लगातार जोड़े रखने की कोशिश की. उदाहरण के लिए - मध्यकाल में राजवंशों के विकास व ब्राह्मणों के फैलने व बसने का आज के जीवन व संस्कृति पर भी असर दिखता है, जातियों और उपजातियों के बनने का असर, धार्मिक मेल-जोल और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का असर आज भी हमारे जीवन में मौजूद है. हमने ऐसी बातों पर ख़ास ध्यान दिया।

4. समाज में व्यक्ति की भूमिका की समझ :

माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण की दृष्टि से यह काफी उचित अवधारणा है. ऐसा लगता है कि शायद हमें इससे संबंधित पाठों पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था. दरअसल हमारा ज़ोर सामाजिक प्रक्रियाओं को समझाने वाले पाठों पर था. फिर भी हमने सामाजिक प्रक्रियाओं को (जैसे खेती की शुरुआत, कबीलों के मुखिया का राजा बनना, राजाओं की नीतियों में आए बदलाव, बड़े अधिकारियों के किसानों से रिश्ते आदि) हमेशा व्यक्तियों के माध्यम से ही दर्शाने की कोशिश की है. मगर ये व्यक्ति हमेशा ऐतिहासिक व्यक्ति तो नहीं हो सकते हैं. किसी एक ऐतिहासिक व्यक्ति की जीवनी में सामाजिक प्रक्रियाओं को दर्शाने वाली सारी उपयुक्त सामग्री दुर्लभ ही मिलती है. ऐसे में हमने साक्ष्य के आधार पर कहानियां रची हैं.

पर हमने कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों जैसे अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और औरंगज़ेब पर भी पाठ रखे हैं. इनमें उन्हें उनके समाज के संदर्भ में दिखाया गया है. आमतौर पर व्यक्ति की भूमिका को उसके चरित्र, स्वभाव या क्षमता

के गुण-अवगुण के अनुसार समझा जाता है. हमने सामाजिक परिस्थितियों के दबाव पर बल देने की कोशिश की है. समुद्रगुप्त का पराक्रम और बड़प्पन, अकबर की उदारता और औरंगज़ेब की संकीर्णता के सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ उभारने की कोशिश की है.

5. स्रोतों से जानकारी :

इस संदर्भ में हमारे दो उद्देश्य थे -

1. बच्चों को यह आभास दिलाना कि इतिहास मनगढ़ंत नहीं होता, स्रोतों पर आधारित होता है.
2. विभिन्न स्रोतों से कैसे इतिहास लिखा जाता है, इस संदर्भ में कुछ समस्याओं से परिचित कराना.

हमने कई पाठों में मूल स्रोत सामग्री (जैसे वेद मंत्र, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ, शिलालेख, ताम्रपत्र, हर्षचरित के अंश, मध्य-कालीन इतिहासकारों के ग्रंथों के अंश आदि) का उपयोग किया है. लेकिन प्रायः इनका उपयोग केवल छात्रों के पढ़ने, समझने व सीधे जानकारी हासिल करने के लिए ही किया है (जैसे समुद्रगुप्त के शिलालेख से उसके द्वारा हराए गए राजाओं की सूची बनाना). एक दिलचस्प पाठ में हमने स्रोतों से जानकारी हासिल करने की समस्या का परिचय दिया है. मोहम्मद तुग़लक की राजधानी परिवर्तन के बारे में दो भिन्न इतिहासकारों के विपरीत वर्णनों के ज़रिए असलियत का पता कैसे करें - यह इस पाठ का केंद्र बिंदु है. मगर ऐसा लगा कि यह अवधारणा माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए जटिल है. इसलिए इसका परिचय मात्र रखा है.

6. अतीत के बारे में मत बनाना :

इतिहासकारों के बीच मतभेद होते हैं और इतिहास के छात्र को उनके मतों की विवेचना करके अपना मत बनाना पड़ता है. मगर इसके लिए परिपक्व मानसिकता की ज़रूरत है. हमने इतिहास शिक्षण के इस पहलू को भी केवल परिचयात्मक रूप में रखा है. एक पाठ में तुर्कों की जीत का विवरण देकर तीन

आधुनिक इतिहासकारों का मत दिया है - तुर्कों की जीत का क्या कारण है? छात्रों को इनके मतों का औचित्य परखने का अभ्यास करना है.

मत बनाने की प्रक्रिया एक और प्रकार से भी हो सकती है : बीते समय की बातों पर अपनी समझ बनाना. उदाहरण के लिए सती प्रथा के बारे में, धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में, अपना परिपक्व मत बनाना - यह भी हमने एक पाठ में रखा है. छात्रों पर ज़ोर डाला है कि वे यह सोचें व समझाएं कि यदि वे उस समय होते तो किसके पक्ष में होते - सुधारवादियों के या परंपरावादियों के?

हमने पाया कि विभिन्न मतों-विचारों की विवेचना करने में छात्रों को मज़ा आता है पर बहुत कड़े बौद्धिक अनुशासन में बंधकर वे संतुलित मत बनाने में मुश्किल महसूस करते हैं. इस अनुभव से हमने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि सब पाठों का आधार छात्रों से मतामत का अभ्यास कराना बनाया जाए, तो यह उचित नहीं होगा. निश्चित जानकारी को समझने, बूझने और अतीत की समृद्ध छवि बनाने में ही उनकी काफी कसरत हो जाती है. अतः हमें यह लगता है कि इतिहास शिक्षण के इस पहलू का महत्व उच्च माध्यमिक से स्नातक कक्षाओं में क्रमशः बढ़ाना चाहिए. इसी तरह कार्य-कारण संबंधों की गहराई का पुट भी इन कक्षाओं में ज़्यादा होना चाहिए.

स्कूल से कॉलेज तक पाठ्यक्रम का संयोजन, इतिहास शिक्षण के विभिन्न पहलुओं का छात्रों की मानसिक क्षमताओं के साथ सामंजस्य बिठाते हुए करना ज़रूरी है - ताकि उपयुक्त उम्र में छात्रों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण की उपयुक्त अवधारणाएं व कौशल सीखने का अवसर मिले. अलग-अलग कक्षाओं में सिर्फ जानकारी और विषयवस्तु को दोहराने भर से हम इतिहास शिक्षण के साथ न्याय नहीं कर सकते.

● ● ●

● भूगोल ●

भूगोल विषय के बारे में यह एक आम शिकायत है कि वह रसहीन, बोझिल, उबाऊ और केवल रटने वाले तथ्यों का कोष है. अधिकतर बच्चे भूगोल पढ़ने से कतराते हैं जबकि भूगोल पृथ्वी की विविधता और उसके प्राकृतिक स्वरूप का बहुत ही रोचक झरोखा है. इसके द्वारा हम प्रकृति के नियमों को समझ पाते हैं. अतः परीक्षण के द्वारा यह देखना हमारा लक्ष्य था कि बच्चे भूगोल के अध्ययन से क्यों दूर होते जा रहे हैं, क्या विषयवस्तु ठीक नहीं है या उसकी प्रस्तुति त्रुटिपूर्ण है?

इस संदर्भ में वर्तमान पुस्तकों की विषयवस्तु और उसकी प्रस्तुति संबंधी कई प्रश्न सामने खड़े हुए.

बच्चों के मानसिक स्तर से तालमेल की ज़रूरत

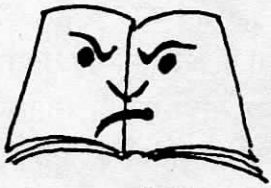

हमने बाल केंद्रित शिक्षा को मद्देनज़र रखकर परीक्षण किया तो प्रतीत हुआ कि वर्तमान पाठ्य पुस्तकें भूगोल की संपूर्ण परिधि का पॉकेट संस्करण हैं. बच्चों के मानसिक विकास के अनुरूप विषयों का चुनाव नहीं किया गया है. जैसे कक्षा 4 में अक्षांश-देशांश बताए जाते हैं, जबकि उस स्तर (लगभग 8 वर्ष) पर बच्चे गोलाकार पृथ्वी की मानसिक छवि ही शायद न बना पाएं. जलवायु के परिवर्तन के कारक : तापमान एवं वायुभार कक्षा 8 में (13-14 वर्ष) बताए जाते हैं. जबकि देखा गया कि बच्चों को तापमान और वायुभार का अंतर्संबंध समझने में कठिनाई होती है. उनके लिए यह कठिन अवधारणा है कि जहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है वहां निम्न दाब का केंद्र बनता है और हवाएं उस केंद्र की ओर चलती हैं.

अवधारणाओं की पृष्ठभूमि की ज़रूरत

महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को जब किसी अवधारणा से परिचित कराना है तो आश्वस्त होना ज़रूरी है कि क्या उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी बच्चों

को है? जैसे, बच्चों को किसी स्थान का तापमान बताने से पहले यह समझाना आवश्यक है कि तापमान क्या है? मनुष्य का तापमान कितना है, कितने तापमान पर पानी जम जाता है इत्यादि. इसी प्रकार हवा का तापमान और वायुदाब का संबंध स्पष्ट करना आवश्यक है इसके पहले कि हम उन्हें हवा की दिशा या स्थायी हवाएं बताएं. वर्तमान पुस्तकों में मूलभूत बातों को पुख्ता किए बिना ही जटिल व विस्तृत बातों की जानकारी देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह कमी बच्चों से बात करने पर बहुत स्पष्ट हो जाती है।

प्रयोगों-गतिविधियों की ज़रूरत

हमने यह भी पाया कि प्राकृतिक भूगोल के सैद्धांतिक पाठ साधारणतः बच्चों को उबाऊ लगते हैं लेकिन यदि छोटे-छोटे प्रयोगों द्वारा वही तथ्य या अवधारणाएं सिद्ध करके दिखाई जाएं तो बच्चे खेल-खेल में सीखते हैं और कक्षा में उत्साह और रुचि दिखाई देती है. प्राकृतिक भूगोल के पाठों की प्रस्तुति को सुधारने की ज़रूरत स्पष्ट सामने आई।

प्राकृतिक व प्रादेशिक भूगोल को जोड़ने की ज़रूरत

वर्तमान पुस्तकों में यह भी पाया गया कि प्रादेशिक भूगोल पढ़ाते समय न तो प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न अवयवों का अंतर्संबंध उभारा गया है और न ही मानवीय जीवन में प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध पर ज़ोर दिया गया है. सभी तथ्य अलग-अलग टुकड़ों में देकर उन्हें छोड़ दिया गया है. जैसे किसी देश की स्थिति अक्षांश-देशांतर में बताई गई, तब यह नहीं कहा गया कि पूर्व में बताई पट्टियों (उष्ण, शीतोष्ण, शीत कटिबंधों) में यह प्रदेश कहां पर है.

इसी प्रकार कई देशों-प्रदेशों के वर्णन में तापमान, वर्षा, वनस्पति, खेती, उद्योग आदि का संबंध बल देकर स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता. बच्चे फसलें और खनिज अलग-अलग पढ़ लेते हैं लेकिन देश के उद्योगों से उनका संबंध नहीं जोड़ पाते. भूगोल की पुस्तकों से न बच्चे प्रकृति का तर्क समझ पाते हैं और न प्रकृति और मनुष्य के जीवन का अंतर्संबंध.

भौतिक भूगोल के शिक्षण को बालोचित बनाने का प्रयास :

हमने कोशिश की कि भौतिक भूगोल की जो बातें कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों के स्तर की नहीं है उन्हें पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए व आगे की कक्षाओं में उनके समावेश की बात पर विचार किया जाए।

इसका सबसे अच्छा उदाहरण कक्षा छः के प्रथम पाठों - सौर मंडल और पृथ्वी की गतियों का है. इन पाठों को बहुत सतर्कता के साथ, एक के बाद एक अवधारणाओं को समझाते हुए, चित्रों और अभ्यासों के सहित लिखा गया और नौ स्कूलों में विभिन्न शोधकर्त्ताओं ने ग्लोब की सहायता से पढ़ाकर देखा. तब भी परिणाम बहुत निराशाजनक रहे. बच्चों को रात में बहुत स्पष्ट दिखने वाले ग्रह भी दिखाए गए. लेकिन इन पाठों की मुख्य अवधारणाओं को अधिकतर बच्चे समझ नहीं पाए. उनसे पूछे गए प्रश्नों से यह बात उजागर हुई. जैसे, उन्हें ग्रहों और अन्य तारों में अंतर समझ में नहीं आया. पृथ्वी की दैनिक गति से दिन रात होने की बात कुछ बच्चे समझ पाते थे, लेकिन पृथ्वी की वार्षिक गति के अनुरूप पृथ्वी की जाड़े-गर्मी की स्थिति में ग्लोब को नहीं रख पाते थे. 23.5 डिग्री झुकी हुई पृथ्वी पर एक बार सूर्य की सीधी किरणें कर्क और छः महीने बाद मकर रेखा पर हैं - इस अवधारणा का मानसिक चित्र बनाने में वे असमर्थ थे. कब उत्तरी ध्रुव पर लगातार दिन है और कब दक्षिणी ध्रुव पर, यह औसत बच्चे नहीं बता पाते थे. अन्ततः हम यह निर्णय करने पर मजबूर थे कि ये पाठ कक्षा छः के उपयुक्त नहीं हैं, इन्हें कक्षा 8 में या उसके बाद की कक्षा में रखना होगा

लेकिन दूसरी तरफ एशिया के चार देशों के पाठों के ज़रिए हमने बच्चों के मन में यह अवधारणा विकसित की है कि पृथ्वी पर अलग-अलग जगह स्थित होने वाले देशों में गर्मी-सर्दी का क्रम किस प्रकार अलग होता है।

इसी तरह हमने यह तय किया कि चूंकि तापमान व वायुभार की पट्टियां व जल धाराओं का तंत्र बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है हम अपने पाठ्यक्रम में इन विषयों को उस रूप में नहीं रखेंगे जिस रूप में वे वर्तमान पुस्तकों में पढ़ाए जाते हैं। हमें यह बेहतर लगा कि भौतिक भूगोल की कई बातों को सिद्धान्त रूप में बताने की बजाए उन्हें प्रादेशिक भूगोल के साथ जोड़ के बताया जाए। जैसे, वायुभार पेटियां व स्थाई हवाएं हमने सिद्धान्त रूप में नहीं बताई हैं। यूरोप के पाठ में जलवायु के वर्णन के बीच पछुआ हवाओं का भी वर्णन किया है तथा यूरोप की जलवायु पर उसके असर को बताया है। कोलम्बस द्वारा अमेरिका पहुंचने व यूरोप लौटने के संदर्भ का उपयोग करते हुए व्यापारिक हवा व पछुआ हवा का परिचय दिया है। यूरोप के ही पाठ में मछली पकड़ने के महत्वपूर्ण व्यवसाय की चर्चा करते हुए हमने गर्म जलधारा का परिचय दिया है। इंडोनेशिया के पाठ में ज्वालामुखी का वर्णन, और जापान के पाठ में भूकम्प का वर्णन है। साथ ही उन देशों के मानव जीवन पर इन बातों के असर की भी चर्चा है।

हमारा विचार है कि माध्यमिक शाला के स्तर पे बच्चों के लिए भौतिक भूगोल के अनेक सिद्धान्तों की पढ़ाई उपयुक्त नहीं है। इन बातों को देशों और लोगों के ठोस संदर्भ में परिचय स्वरूप शामिल करना ही उपयोगी और सकारात्मक होगा।

दूसरी तरफ, ऐसी बातों को जिनकी ठोस समझ प्रादेशिक भूगोल के पाठों में बन गई है, सिद्धान्त स्तर पर बांधने की कोशिश भी हमने की है। जैसे कक्षा 8 में *'कितनी गर्मी कितनी सर्दी'* नाम का अध्याय है। इस पाठ में पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता को आंकड़ों की मदद से देखा गया है। साथ ही ऋतु परिवर्तन, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी जैसे कारकों का असर

भी तापमान के आंकड़ों के माध्यम से पहचाना गया है। चूंकि कक्षा 6 व 7 में प्रादेशिक भूगोल के पाठों में पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता की अवधारणा को ठोस रूप से विकसित किया गया था अतः कक्षा 8 में उसे सिद्वान्त व विश्लेषण के स्तर पर बांधा गया है। मुख्य बात यह है कि ठोस संदर्भों के बीच ही सिद्धान्तों की बात की जाए।

हम ऐसा मानते हैं कि इस प्रयास से, एक तरफ जहां हम बच्चों के मानसिक विकास व रुचि की बात को ध्यान में रख पाए हैं वहीं हम एक अच्छे स्तर का पाठ्यक्रम भी बना पाए हैं। स्तरीय पाठ्यक्रम बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने भौतिक भूगोल की उन चुनिंदा अवधारणाओं को ही विशेष रूप से विकसित किया है जिन पर आगे के पाठों को समझने की बात निर्भर करती थी। जैसे, दिशाएं, मानचित्र, पहाड़, पठार, मैदान, विषुवत् रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव, महाद्वीप, महासमुद्र व उनके नाम।

इस बात का भी ध्यान रखा है कि पृष्ठभूमि का विकास किए बिना किसी अवधारणा का इस्तेमाल न हो जाए। जैसे कक्षा 8 के तापमान के पाठ द्वारा जब बच्चे तापमान नापने की बात समझते हैं, तो उसके बाद ही अमरीका व भारत के पाठों में पहली बार वे तापमान वितरण के मानचित्र देखते हैं।

भूगोल-वेत्ताओं द्वारा यह माना जाता है कि भौतिक भूगोल के सिद्धातों को समझे बिना पृथ्वी पर पाई जाने वाली भिन्नताओं को नहीं समझा जा सकता। पर हमने पाया कि विभिन्न प्रदेशों के तर्कसंगत वर्णन से बच्चे भौगोलिक भिन्नताएं एवं उनके कारणों के प्रति सचेत होने की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। हमने अक्षांश-देशान्तर न बताकर, वर्षा सेंटीमीटर में न बताकर, तापमान डिग्री सेल्सियस में न बता कर, नियतवाही हवाओं और समुद्र के प्रभाव को न बताकर भी पृथ्वी पर इनके वितरण और मानव जीवन पर इनके असर का आभास देने की कोशिश की है।

संपूर्ण पृथ्वी के स्तर के सिद्धांतों की चर्चा की बजाए बच्चों के प्राकृतिक पर्यावरण की बातों का अध्ययन उनके लिए ज़्यादा रुचिकर व उपयोगी होता।

अतः वर्षा, मिट्टी, भूजल, मैदानी, पहाड़ी, पठारी धरातल की विशेषताओं पर पाठ रखे हैं जो बच्चों के बीच बहुत सफल रहे हैं।

दो विपरीत लक्ष्य:

हमारा लक्ष्य दो भिन्न या विपरीत लक्ष्यों के बीच रास्ता बनाने का रहा,

1- बच्चों के मानसिक विकास एवं रुचि के अनुरूप विषयों का चुनाव हो और उनकी प्रस्तुति सरलतम ढंग से की जाए जिससे बच्चे उन्हें समझ सकें.

2 - प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम अच्छे स्तर तक पहुंचे. निश्चय ही यह स्तर तय करने में हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान का ध्यान एवं उनके सामाजिक पर्यावरण को भी नज़र में रखना था. हमें ऐसे बच्चों के लिए अच्छे स्तर का पाठ्यक्रम बनाना था, जो अपने गांव से बाहर ही बहुत कम गए थे.

ज्ञान का भंडार और उसमें से बच्चों के लिए चुनाव:

इस समय ज्ञान का इतना भंडार है कि हम इस लालच को रोक नहीं पाते कि बच्चों को यह सब दे दिया जाए. एक कक्षा में सामाजिक अध्ययन के साथ बच्चों को इतने अधिक विषय पढ़ने होते हैं कि उसके तले वे दब जाते हैं. तब यह प्रश्न उठता है कि यदि हमारे पास बहुत अधिक ज्ञान हो गया है तो क्या बच्चों तक उसकी जानकारी पहुंचा देना ही शिक्षा का लक्ष्य है? हमने तय किया है कि हमारा लक्ष्य पृथ्वी का ज्ञान कोष बताना नहीं है।

पिछले वर्षों में यह भी मनोवृत्ति रही कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की उठा-पटक में ऊंची कक्षाओं के विषय छोटी कक्षाओं में भर दिये गए. जबकि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का यह उचित तरीका नहीं था. यह भी परीक्षण नहीं किया गया कि कौन-सा विषय बच्चों के मानसिक विकास के उपयुक्त है. यह भी पाया गया कि कई विषय भूगोल के पाठ्यक्रम में छोटी कक्षाओं से ऊंची कक्षाओं तक बार-बार पढ़ाए जाते हैं. लेकिन उनकी प्रस्तुति या स्वरूप लगभग वही रहता है. जैसे, पृथ्वी की गतियां, तापमान और वायुभार की पट्टियां, जलधाराएं, समुद्र की तलहटी, भारत का भूगोल आदि. इनमें से कई पाठ केवल पुनरावृति भर हैं, बच्चों में कोई बेहतर समझ नहीं बनाते. अतः

हमें यह निर्णय करना था कि क्या ऐसे विषय कक्षा 6-7-8 में कहीं पढ़ाए भी जाएं या उन्हें आगे के लिए छोड़ दिया जाए? हमने ऐसे विषयों को छोड़ना तब विशेषकर उचित समझा जब वे अवधारणाएं या तो बच्चों के मानसिक स्तर से ऊंची लगीं या उनको बताए बिना भी उस कक्षा के अगले पाठ पढ़ाए जा सकते थे.

जैसा कि ऊपर बताया गया है पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन करना हमारा उद्देश्य नहीं था. किंतु पाठों को ललित भाषा में लिखने व धीरे-धीरे एक अवधारणा के बाद दूसरी को समझाने का प्रयास था, जिससे बच्चे भ्रमित न हों, तथा उनकी तर्कशक्ति को बढ़ावा मिले. इस पद्धति को अपनाने में मुख्य कठिनाई यह थी कि पाठ लंबे हो जाते थे. कोई बात संक्षेप में बताकर टालने की नीति से बचा गया. तब किसी महाद्वीप के सभी देशों के बारे में बताना असंभव प्रतीत हुआ. अतः प्रयत्न यह किया गया कि देशों का चुनाव किया जाए और वह चुनाव ऐसे किया जाए कि कक्षा-6-7-8 में कम से कम मुख्य प्राकृतिक (भौगोलिक) प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सके.

चुने हुए देशों-प्रदेशों के विस्तृत पाठों के अतिरिक्त एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों की प्राकृतिक बनावट, नदियां, वनस्पति और जलवायु की विशेषताएं बताने वाले पाठ रखे गए हैं. इन महाद्वीपों के इतिहास को उनके भूगोल के साथ जोड़कर भी कुछ पाठ रखे गए हैं. जैसे अमेरिका की बसाहट, अफ्रीका में उपनिवेशकाल, यूरोप में औद्योगिक क्रांति जैसी बातों की कुछ विस्तार से चर्चा की गई है.

प्रादेशिक भूगोल के पाठों में केवल तथ्यों के वर्णन की प्रवृत्ति नहीं है बल्कि सिद्धांततः इन सभी पाठों में भौगोलिक पर्यावरण और मनुष्य के जीवन के अंतर्संबंधों को मुख्य सूत्र बनाया है. तथ्यात्मक विस्तार बच्चों के लिए उबाऊ और अर्थहीन होते हैं. खासकर तब जब पाठ सिर्फ असंबद्ध तथ्यों की जानकारी दे रहा हो. हम चाहते हैं कि पाठ की जानकारी रटने की बजाए बच्चे प्रकृति के तर्क को समझें और किसी भी पर्यावरण में मनुष्य के जीवन, मुख्यतः भोजन, कपड़ा, मकान और आर्थिक कार्यों को समझ सकें. अतः प्रादेशिक भूगोल के

पाठों में उस प्रदेश की विशेषता उभारने वाला केंद्र-बिंदु रखा गया है. किसी रुटीन ढांचे में प्रत्येक प्रदेश की जानकारी देने की कोशिश नहीं की गई है.

भारत संबंधी पाठ भी परंपरागत ढंग से लिखे नहीं हैं. उनमें पुनः कोष के रूप में जानकारी नहीं दी गई है. विभिन्न प्रदेशों के एक विशिष्ट पक्ष पर विस्तृत जानकारी एकत्रित कर पाठ बनाए गए हैं. जैसे, हिमालय के ठंडे और कठिन पर्यावरण में सीढ़ीनुमा खेत एवं झूम खेती, दक्खन के पठार में उत्खनन और उद्योग, तटीय प्रदेशों में समुंद्र से जुड़े मछुआरों तथा रेगिस्तानी प्रदेशों में भेड़ पालकों के जीवन को और उत्तर के मैदान में खेती व जनसंख्या की सघनता की अवधारणा को केंद्र-बिंदु बनाया गया है. प्रादेशिक विशिष्टताओं पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें गहराई से समझने पर जोर देने के कारण कई अन्य असंबद्ध जानकारियों को छोड़ दिया गया है - जैसे, भारत के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग, बन्दरगाह, व्यापार, उत्पादन और व्यापार संबंधी आंकड़े आदि. प्रकृति की व्यवस्था में मनुष्य की भूमिका के प्रति सचेत होने के लक्ष्य के लिए यह प्रयास बहुत आवश्यक प्रतीत होता है।

भूगोल के पाठों की प्रस्तुति

भूगोल में मानचित्र, रेखाचित्र तथा फोटोग्राफ पढ़ाने का अभिन्न अंग हैं. लेकिन वर्तमान पुस्तकों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि पिछले वर्षों में उनका उपयोग एवं उनके द्वारा जानकारी प्राप्त करना भूगोल में कम होता हुआ लगभग गायब हो गया है. इसी प्रकार अवधारणाओं को रेखाचित्र द्वारा समझाना भी नहीं रहा. संभवतः पुस्तकों के मूल्य की दृष्टि से ज़्यादा फोटोग्राफ भी नहीं रखे जाते. न ही प्रस्तुत फोटोग्राफ का ज़िक्र वर्णन के साथ होता है. इसका परिणाम यह हुआ है कि अध्यापक बिना दीवार मानचित्रों और एटलस के भूगोल के पाठ पढ़ा लेते हैं. दीवार मानचित्रों में बच्चे न दिशाएं बता पाते हैं, न स्थल - जल का विवरण, तट रेखा और जलमार्ग, रेल मार्ग में अंतर नहीं कर पाते. प्रदेश का ढाल और नदियों के बहने की दिशा नहीं बता पाते. देशों को नहीं पहचान पाते, उनकी सीमा बताने में उन्हें कठिनाई होती है.

प्राकृतिक और राजनैतिक मानचित्रों में रंग का महत्व या अर्थ नहीं बता पाते और रंगों के आधार पर ऊंचाई नहीं बता पाते. विषय की अज्ञानता की दृष्टि से यह अत्यधिक शोचनीय एवं गंभीर स्थिति है.

अतः कक्षा 6 में ही मानचित्र, रेखाचित्र एवं फोटोग्राफ के समुचित उपयोग की नीति अपनाई गई. प्रारंभ में ही दिशाएं एवं मानचित्र बनाने की विधि समझाते हुए मानचित्र की विशेषताओं से बच्चों को परिचित कराया है. कक्षा 6, 7 व 8 की पुस्तकों में समुचित मानचित्र दिये गये जिससे यदि स्कूल में दीवार मानचित्र और एटलस नहीं हैं तब भी बच्चों को कठिनाई न हो. एक ओर मानचित्रों पर वर्क-बुक के समान समुचित अभ्यास प्रश्नों का समावेश किया गया और दूसरी ओर मानचित्रों के वर्णन में बार-बार उद्धरण दिए गए. कक्षा 7 व 8 में मानचित्र की अन्य पद्धतियों, जैसे समताप, समोच्च रेखाओं, मानचित्रों में रंग भरकर तथ्यों को दिखाने जैसी विधाओं से भी परिचित किया गया. जहां भी आवश्यक हुआ रेखाचित्रों का भी भरपूर उपयोग किया गया, जैसे ढाल, नदी की घाटी, बाढ़, भूमिगत जल आदि की अवधारणाओं को स्पष्टतः समझाने के लिये. प्रादेशिक मानचित्रों में उद्योगों, खनिजों, फसलों, वनों का वितरण आदि कई बातों को और दिखाया गया.

सबसे अधिक कठिनाई थी विभिन्न प्रकार के वन, परिधान, अपरिचित फसलें, जैसे कोको, कसावा और भू-आकृतियों जैसे ज्वालामुखी आदि के अच्छे फोटोग्राफ प्राप्त करने की. इनके चुनाव में बहुत खर्च करना पड़ा और अब भी बहुत स्पष्ट और अच्छे श्वेत-श्याम चित्र नहीं 1दिये जा सके. उद्देश्य था कि इस विधि से बच्चे अपने पर्यावरण में न मिलने वाली चीज़ों, आदि से परिचित हो सकें.

यह भी पाया गया कि बच्चे यदि कुछ प्रयोग करके सीखें तो उनमें सीखने के प्रति सजगता एवं रुचि होती है और कक्षा में उत्साह दिखाई देता है. इसके लिये जहां भी संभव हुआ, प्रयोग जोड़े गये हैं, जैसे पैमाने के अनुसार मानचित्र बनाना, स्केल से दूरियां नापना, मॉडल बनाकर ऊंचाई और समोच्च रेखाओं की अवधारणाओं को समझना आदि. यह प्रयोग अत्यधिक सफल सिद्ध हुआ.

● नागरिक शास्त्र ●

नागरिक शास्त्र के शिक्षण में बदलाव की आवश्यकता

नागरिक शास्त्र का महत्व नागरिक के महत्व के साथ जुड़ा है. नागरिक का महत्व तब बढ़ा जब जनतांत्रिक राजनीति का चलन विश्व में फैला. जनतांत्रिक ढांचे में हर नागरिक का शासन और प्रशासन की प्रक्रियाओं से संबंध ज़रूरी और महत्वपूर्ण है. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नागरिकों के आर्थिक जीवन में भी शासन की भूमिका बहुत अहम हो गई है और आर्थिक विकास का मुद्दा आधुनिक राजनीतिक जीवन के प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर कर आया है. इन संदर्भों में एक नागरिक के शिक्षण के लिए शासन-प्रशासन की जानकारी के साथ अर्थव्यवस्था की थोड़ी बहुत समझ भी महत्वपूर्ण हो गई है.

वर्तमान नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम व पाठों का स्कूलों में पढ़ना-पढ़ाना देखने के बाद हमने यह समझा कि बच्चों की सोच-समझ और रुचि को काफी हद तक अनदेखा किया जा रहा है. विधान सभा, लोक सभा, राज्य सभा आदि के गठन तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री के चयन व अधिकार क्षेत्रों की जानकारी पर वर्तमान पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है. इसी तरह अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों की जानकारी पर भी ज़ोर है - यानि तहसील, विकासखंड, जिला, राज्य आदि.

वर्तमान पुस्तकें ऐसा मानकर चलती हैं कि बच्चों को इन विषयों की अवधारणात्मक समझ है और उन पर आधारित विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी व नियमावलियां बतानी हैं. पर हमने पाया कि माध्यमिक स्तर के छात्रों में इन अवधारणाओं का विकास नहीं हो पाता है. छात्र बार-बार अलग-अलग संस्थाओं के अधिकार क्षेत्रों के बीच भ्रमित होते हैं और उनमें स्पष्ट फर्क करने में असमर्थता महसूस करते हैं. अगर उन्हें बहुत मजबूर किया जाए तो वे स्तब्ध और चुप हो जाते हैं. इस प्रकार की विषय वस्तु से कोई संवाद कायम करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता. अतः नागरिक शास्त्र

शिक्षण में नवाचार की पहली ज़रूरत तो यही थी कि उसकी अवधारणाएं बच्चों की समझ के अनुरूप चुनी और ढाली जाएं और कठिन अवधारणाओं को ऊंची कक्षाओं के लिए रखा जाए.

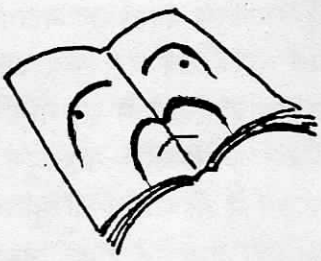

दूसरी समस्या दी गई जानकारी की नीरसता और किताबीपन है. ऐसा लगता है जैसे यह जानकारी समाज का अध्ययन करने के लिए नहीं बल्कि किसी संवैधानिक मामले के वकील की सहायता के लिए दी जा रही हो. शासन-प्रशासन के ढांचे के नियम जो भी हों, उन्हें वास्तविकता में कार्य करते देखना-समझना और उस अच्छी-बुरी वास्तविकता में एक नागरिक की भूमिका के प्रति सचेत होना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है. नवाचार के प्रयास में इस उद्देश्य की प्राप्ति ज़रूर होनी चाहिए.

अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सामग्री वर्तमान पुस्तकों में है, उसमें आमतौर पर सरकारी विकास नीतियों का ब्यौरा दिया जाता है. या 'ग्रामीण विकास की समस्याएं' जैसे व्यापक विषयों पर बिंदुवार कुछ छोटी-मोटी बातें निरूपित की जाती हैं. इस प्रकार की विषयवस्तु व्यापक व अमूर्त होती है. उसमें न ठोसता है न पैनापन - बस पिछड़ेपन और उन्नति से जुड़े कुछ मुहावरे ज़बान पर चढ़ जाते हैं. ऐसी सामग्री में वास्तविक स्थितियों का विश्लेषण करने और सोचने समझने का पुट नहीं होता.

हमने नागरिक शास्त्र के शिक्षण में निम्नलिखित उद्देश्यों के अनुरूप सामग्री का विकास करने की कोशिश की है -

1. बच्चों में शासन-प्रशासन और अर्थव्यवस्था के ढांचों की कुछ मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित हो.
2. ये ढांचे कैसे काम करते हैं - इसकी ठोस छवि बने.
3. उनके नियमों की अपने आसपास की वास्तविकता के साथ तुलना करते हुए उनके काम करने की खूबियों व कमियों को पहचाना जाए.

4. इनके काम करने के ढंग पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है और वे किन बातों को प्रभावित करते हैं - यह समझ बने.
5. शासन की आर्थिक नीतियों की पृष्ठभूमि और उनका असर व विकल्प समझा जाए.
6. नागरिक की सक्रिय व प्रबुद्ध भूमिका के प्रति सचेत किया जाए.

अवधारणाओं का विकास

स्कूल के अनुभवों के आधार पर हमने यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, न्यायपालिका व प्रशासन की संपूर्ण, औपचारिक व्यवस्था की समझ माध्यमिक स्तर के बच्चे नहीं बना सकते हैं. शुरू में हमने सिर्फ इतना प्रयास किया कि पाठ के ज़रिए उपरोक्त ढांचों के नियमों की तुलना बच्चों के परिवेश से करने का अवसर दें. जैसे नगरपालिका की जानकारी के साथ ऐसे प्रश्न पूछें - 'तुम्हारे शहर की जनसंख्या कितनी है? वहां नगरपालिका है या नहीं? तुम्हारी नगरपालिका क्या-क्या काम करती है? कौन से काम नहीं करती?' आदि. इस तरह के प्रश्नों की चर्चा में बच्चों ने बहुत रुचि ली. पर इन संस्थाओं का वास्तविक काम इतना कमज़ोर है कि सिर्फ इस विधि से प्रतिनिधि संस्थाओं के ढांचों से जुड़ी अवधारणाओं की समझ नहीं बनाई जा सकती. बस यही धारणा बनती है कि कुछ नहीं हो रहा. हाल ही में पाठों का संशोधन करते समय विषयों की वे अवधारणाएं हमने छांटीं जिन्हें बच्चे समझ सकें और आगे जाकर संपूर्ण ढांचे को समझने की पृष्ठभूमि उनके मन में बनने लगे.

नगरपालिका, पंचायत, विधानसभा, संसद - ये सभी संस्थाएं प्रजातंत्र की मुख्य विशेषताओं पर आधारित हैं. इनकी सबसे मुख्य अवधारणा है **प्रतिनिधित्व** की. जनता ही इन संस्थाओं को चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है. कितने लोग मिलकर और किस प्रकार से एक प्रतिनिधि चुनेंगे और वह प्रतिनिधि क्या काम करेंगे इसमें अन्तर होता है। मुख्य बात यह है कि वे सभी जनता के प्रतिनिधि हैं यानि जनता की तरफ से कुछ काम करने के लिए चुने गए हैं.

इन प्रतिनिधि संस्थाओं का दूसरा महत्वपूर्ण और विशिष्ट पक्ष है **उत्तरदायित्व.** चुने गए प्रतिनिधि अपने काम के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हैं. यदि वे ठीक तरह से काम नहीं करते तो जनता दबाव डाल सकती है और उन्हें हटा सकती है.

जनतंत्र में **नागरिक की भागीदारी** के भी स्पष्ट तरीके हैं. जैसे धरना देना, जुलूस निकालना, संसद में प्रश्न उठवाना, ज्ञापन-प्रतिवेदन देना, कोर्ट-कानून का सहारा लेना, पत्र-पत्रिकाओं में लिखना, चुनाव में मत देना आदि. हमने इन मूलभूत अवधारणाओं को चुना और इनके विकास पर पाठों का प्रस्तुतिकरण केंद्रित किया है. नियमों और औपचारिक व्यवस्थाओं की थोड़ी बहुत जानकारी भी साथ-साथ दी है पर पाठों का पूरा ज़ोर सिर्फ उस जानकारी पर नहीं है.

तहसील, ज़िला और राज्य प्रशासन के संदर्भ में हमने बहुत छोटी-छोटी अवधारणाओं को मज़बूत करने की कोशिश की है - जैसे, कई गांवों से तहसील बनती है, व कई तहसीलों से ज़िला, कई ज़िलों से राज्य. इनकी सीमाएं नक्शे में कैसे दिखाते हैं? तहसीलदार का कार्यक्षेत्र उसकी तहसील के अंदर है - पर उसी कार्यक्षेत्र में जिलाध्यक्ष भी कुछ अधिकार रखता है. हमने पाया कि ये सामान्य-सी लगने वाली बातें ही बच्चों की पकड़ में नहीं आती. पाठ लिखते समय इन अवधारणाओं के विकास पर विशेष ज़ोर दिया गया है.

इसी प्रकार न्यायपालिका का ढांचा बताने में बच्चों पर रूखी जानकारी व नियमों का बोझ लादने की बजाय कुछ मूलभूत व सामान्य अवधारणाओं की ठोस छवि बनाने पर ज़ोर दिया गया है - जैसे फौजदारी व दीवानी मुकदमों में फर्क, अभियुक्त के अधिकार, जमानत, पुलिस और कोर्ट की भूमिका में अंतर, मजिस्ट्रेट व सेशन्स की कचहरी में संबंध. हमारा मानना है कि जब तक जड़ से छोटी-छोटी सामान्य धारणाएं स्पष्ट नहीं बनतीं, तब तक संपूर्ण ढांचों की बातें बच्चों के लिए हवा में लटकी रहती हैं.

वास्तविक परिस्थितियों की समझ

अवधारणाओं को उभारने के लिए हमने पंचायत, नगरपालिका, जिला-प्रशासन, राज्य सरकार, कोर्ट-कचहरी न्याय आदि के पाठों में घटनाओं, कहानियों, किस्सों व पात्रों का सहारा लिया है. पर इनके माध्यम से केवल किताबी व आदर्श स्थितियों का चित्रण करने की बजाय ढांचों की कमियों कठिनाइयों को भी उभारा है. साथ ही, यह भी दिखाने की कोशिश की है कि सक्रिय नागरिक मिलकर दबाव डालने की कोशिश करें तो दिक्कतें तो आती हैं पर कुछ असर भी पड़ता है.

हमें लगता है कि आदर्शों, नियमों व ढांचागत व्यवस्थाओं के बोझ से एक प्रबुद्ध और सक्रिय नागरिक का दृष्टिकोण विकसित नहीं होता. उसके लिए समाज की सच्चाइयों का ठोस अध्ययन करने पर ही ज़ोर देना चाहिए और उसी के माध्यम से नियमों व आदर्शों का ज्ञान दिया जाना चाहिए.

अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु

अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु के विकास में हमने न तो अर्थशास्त्र की अमूर्त अवधारणाओं को शामिल किया है (जैसे बाज़ार, उत्पादन, मांग, मूल्य) और न ही विकास कार्यक्रमों की मात्र सूचना देना उचित समझा है. हमें यह ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा है कि बच्चे समाज में हो रही भिन्न-भिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को समझें.

हमने 6वीं व 7वीं में उत्पादन और वितरण की गतिविधियों का वर्णन किया है. कृषि व उद्योग के उत्पादन और वितरण में कई श्रेणी के लोग लगे हैं - घुमंतू, थोक व फुटकर व्यापारी, छोटे-बड़े-मध्यम किसान व भूमिहीन मज़दूर, स्वतंत्र दस्तकार, ठेका या दादन कारीगर, छोटे-बड़े कारखाने के मज़दूर आदि. इनके काम करने के ढंग क्या हैं? काम की स्थितियों में क्या फर्क है? इन पर समाज और अर्थव्यवस्था की बातों का क्या असर पड़ रहा है? इस तरह के प्रश्नों को केंद्र में रखकर वास्तविक उदाहरणों व कहानियों के माध्यम

से पाठ तैयार किए गए हैं. इनके माध्यम से आर्थिक स्थितियों के ठोस विश्लेषण के साथ-साथ अर्थशास्त्र की कुछ श्रेणियों व अवधारणाओं को भी उभारा गया है - जैसे कृषि व उद्योग में अंतर, कच्चा माल, उद्योग की अवधारणा, किसानों के प्रकार, उद्योगों के प्रकार, फुटकर व थोक व्यापार आदि. चूंकि ये पाठ स्थानीय स्तर की छोटी इकाइयों के ठोस और रोचक वर्णनों पर आधारित हैं, इसलिए इनकी बातें बच्चे ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं. हमारे विचार में देश का विकास, उद्योगों की उन्नति, जैसे व्यापक परिप्रेक्ष्य के पाठ ऊंची कक्षाओं के लायक हैं.

यह ज़रूर है कि पंचवर्षीय योजनाओं और आर्थिक विकास नीतियों के पाठ परंपरागत नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण भाग हैं. इन्हें माध्यमिक स्तर के पाठयक्रम से हटाने से पहले काफी सोच-विचार और परीक्षण की ज़रूरत है. परन्तु वर्तमान पाठ्यपुस्तकों में इस विषय को जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया है वह अनुचित है. कहीं-कहीं आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण का इतना सरलीकरण कर दिया है कि वह नारों में तब्दील हो गए हैं. जैसे कि देश ग़रीब है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है. इसी प्रकार कहीं समस्याओं के विश्लेषण की ज़रूरत को नज़रंदाज किया गया है. उदाहरण के लिए वर्तमान पाठ्यपुस्तक की कक्षा 6 में एक पाठ है "गांव की प्रगति और सामुदायिक विकास." इस पाठ में गांव की समस्या समझाने के लिए कारणों की एक सूची बना दी है - जाति प्रथा, कर्ज़ समस्या, अंधविश्वास आदि - और इसे विश्लेषण माना गया है. इस तरह के पाठों से विकास के आयाम नहीं समझे जा सकते हैं. हमनें भी कक्षा आठ में, योजनाओं, कृषि नीति, उद्योग नीति व ग़रीबी दूर करने की नीति पर पाठ रखे हैं. पर, हमारा अनुभव है कि ये बच्चों के लिए मुश्किल ही रहे हैं. इन्हें सरल पर अर्थपूर्ण ढंग से रखने के लिए और प्रयोग करने ज़रूरी हैं - या फिर इन्हें ऊंची कक्षाओं के लिए रखना ही उपयुक्त होगा. यह विचार का मुद्दा है.

बच्चों के लिए आवश्यक है कि वे आर्थिक प्रक्रियाओं की दुनिया को धीरे-धीरे पहचानें व समझें। इस लिये हमने ज़रूरी समझा कि शुरू में आर्थिक

ढांचे के छोटे-छोटे हिस्सों को लेकर उनका विवरण व प्रक्रियाओं का विश्लेषण करवाएं. प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने का अर्थ है कि बच्चे यह समझ पाएं कि काम किस प्रकार होता है, नियम क्या हैं और कैसे बनते हैं और अलग-अलग लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है. हाट-मण्डी; किसान और मज़दूर; चमड़े का बड़ा कारखाना; बैंक जैसे पाठ इस उद्देश्य को खास तौर से पूरा करते है. शायद माध्यमिक स्तर के लिए यही उचित है कि बच्चे ठोस आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करना सीखें. तभी ऊंची कक्षाओं में उन्हें नीतियों के प्रभाव व समस्याओं का विश्लेषण करने में आसानी होगी - क्योंकि नीतियों का प्रभाव अलग-अलग श्रेणी के लोगों पर, उनके हालातों के अनुसार, अलग-अलग ढंग से पड़ता है. जैसे नई कृषि नीति अपनाना उचित रहा कि नहीं? इस प्रश्न के विश्लेषण में छोटे-बड़े-मध्यम किसानों व भूमिहीन मज़दूरों पर उसके असर को समझना ज़रूरी है. हम पाठ्यक्रम का ऐसा संयोजन कर सकते हैं कि माध्यमिक स्तर तक किसानों की श्रेणियों की ठोस समझ बने और अगली कक्षाओं में विकास की नीतियों का विश्लेषण रखा जाए.

अर्थशास्त्र की कई अवधारणाओं को लेकर भी ऐसा चुनाव व संयोजन करना ज़रूरी है और यह हमें करना भी पड़ा. पैसे या मुद्रा की अवधारणा को ही लें. यह पाठ बच्चों के लिए रोचक था. बिन पैसे का लेन-देन और पैसे के प्रकारों की चर्चा में मज़ा आया. पर, *पैसे का आधार* क्या है? यह प्रश्न जटिल हो गया क्योंकि 'पैसे की साख' जैसी अमूर्त अवधारणा पर बात अटक गई. साख की कल्पना करना सरल नहीं है क्योंकि अभी बच्चों का अनुभव सीमित है. सरकार की भूमिका इस बात को और मुश्किल बना देती है. नोट छापने का हक होने पर भी सरकार को साख की बात क्यों सोचनी पड़ती है - यह बड़ी दिक्कत की बात थी. शिक्षकों को भी स्पष्ट नहीं थी. हमें लगा पैसे के आधार की अवधारणा माध्यमिक स्तर के लायक नहीं है. और वह पाठ पुस्तक से हमने हटा दिया।

यहां बताई बातों से स्पष्ट हुआ होगा कि शिक्षण प्रक्रिया को बच्चों के लायक बनाने में प्रयोग और चुनाव का लंबा सिलसिला शुरू करना ज़रूरी होता है. यह सिलसिला एकलव्य ग्रुप में कई सालों से चला है और अभी भी ज़ारी है.

छात्रों का मूल्यांकन

मूल्यांकन किन मुद्दों पर किया जाता है?

1. पुस्तक से आवश्यक जानकारी ढूंढ पाने की क्षमता.
2. प्रश्न का उद्देश्य समझ कर सटीक उत्तर लिख पाने की क्षमता.
3. किसी मुद्दे पर पाठों में की गई चर्चा का सार व्यक्त कर पाने की क्षमता.
4. पाठ में चर्चित मुद्दों के आधार पर किसी नई जानकारी या परिस्थिति से संबंधित खुला विश्लेषण कर पाने की क्षमता.
5. नक्शों, चित्रों, तालिकाओं व रेखाचित्रों के आधार पर जानकारी हासिल करने की क्षमता.
6. अलग अलग स्थितियों के बीच तुलना करने की क्षमता.
7. किसी परिस्थिति का कारण समझा पाने की क्षमता.

प्रश्नों के प्रकार क्या हैं?

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे एक शब्द या वाक्य में उत्तर दो, खाली स्थान भरो.
2. ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर पुस्तक के एक अंश में पूरी तरह मिल जाएगा.
3. ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर पाठ या पुस्तक के एक से अधिक अंश में से निकालना होगा.
4. ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर पाठ में कहीं लिखा नहीं मिलेगा, पर चित्र, नक्शा आदि की सहायता से या अपने तर्क, अनुमान, कल्पना, जानकारी व अनुभव की सहायता से देना होगा.
5. पुस्तक में दिए गए प्रश्न परीक्षा में एक से अधिक संख्या में नहीं रखे जाते. हर बार नए प्रश्न बनाने का प्रयास होता है.

मूल्यांकन की नीति

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर 16% अंक रखे जाते हैं.
2. पाठ के किसी एक अंश से उत्तर मिल जाएं ऐसे प्रश्नों पर 30% अंक रखे जाते हैं.
3. सार, तुलना, विश्लेषण, तर्क, नक्शा, चित्र, तालिका, अनुमान आदि कुशलताओं पर आधारित प्रश्नों पर 54% अंक रखे जाते हैं.
4. जो छात्र अपने शब्दों में उत्तर दे, चाहे भाषा टूटी फूटी क्यों न हो, उसे एक अंक अतिरिक्त दिया जाता है.
5. पुस्तक से उतारे गए सही उत्तर में यदि पुस्तक के अंश की आगे-पीछे की अनावश्यक बातें भी उतारी हों तो 1/2 से 1 अंक काटा जाता है.

खुली पुस्तक मूल्यांकन विधि

सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की यह विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बात का मूल्यांकन करना निरर्थक है कि बच्चों को विषय की कितनी जानकारियां कंठस्थ हैं. जानकारियों का कोई अन्त नहीं है. किसी भी पाठ्यक्रम में सारी जानकारी नहीं दी जा सकती. और बहुत सारी जानकारी याद रखना संभव भी नहीं. कुछ समय के लिए याद रख भी लिया जाए तो यह निश्चित है कि कुछ समय बाद वो जानकारियां भुला दी जाएंगी. तो क्या जानकारियों के भूल जाने पर शिक्षा की कोई छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व में नहीं रहेगी? क्या शिक्षा से ऐसी सोच, समझ और कुशलता हमारे साथ नहीं रहनी चाहिए, जो आजीवन काम आए, जो नई-नई परिस्थितियों, नई-नई पुस्तकों व सामग्रियों, नई-नई समस्याओं के बीच हमारे काम आए?

इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने पुस्तक के उपयोग को, सोचने समझने व अभिव्यक्त करने की कुशलता को मूल्यांकन के लायक माना है और परीक्षा में पुस्तक की छूट दी है. ये सामान्य कुशलताएं हैं - पर ये कुशलताएं

सामाजिक अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं. इनके अलावा विभिन्न समयों या स्थानों के बीच तुलना करना, कारण समझाना, स्थितियों व प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन करना या सार व्यक्त करना, विश्लेषण करना आदि - विशिष्ट रूप से सामाजिक अध्ययन के मूल्यांकन के बिंदु हैं.

हमने पाया है कि पुस्तक की उपलब्धता के बावजूद सभी छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई होती है. इससे स्पष्ट है कि पूर्व तैयारी व अभ्यास के बिना खुली पुस्तक परीक्षा भी आसानी से नहीं दी जा सकती. यानी पुस्तक की छूट दे कर हम छात्रों का काम बहुत सरल कर दे रहे हैं और वे कुछ सीखेंगे नहीं- यह धारणा बिल्कुल गलत है.

एकलव्य ग्रुप

परिशिष्ट 1

नवाचार सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम

इतिहास

कक्षा-6

1. शिकारी मानव: घुमक्कड़ जीवन, औज़ार, नाच का संस्कार, गुफाचित्र, सामूहिक जीवन, शिकार के प्रति व्यवहार व विचार, अवशेष

2. खेती की शुरुआत: उन्नत अवस्था का शिकारी जीवन, पौधों का ज्ञान, खेती अपनाने की परिस्थितियां व कारण, खेती अपनाने की प्रक्रिया की भिन्नताएं, पशुपालन से आए बदलाव

3. गांव का बसना: शिकारी जीवन की तुलना में आए फर्क व समानताएं, नए प्रकार के घर, सामान की ज़रूरतें, स्थिर जीवन व भण्डारण की ज़रूरत

4. सिंधु घाटी के शहर: खोज, उत्खनन, पुरातत्व, इमारतें, कारीगर, व्यापार, लीपि, धर्म आदि

5. पशुपालक आर्य: घुमक्कड़ जीवन, कबीलाई व्यवस्था में सामूहिक सहयोग, ऋग्वेद, यज्ञ संस्कार, राजा-राजन्य व ब्राह्मणों की भूमिका, जन और बलि, युद्ध

6. छोटे जनपदों का बनना: जनपदों में विभिन्न लोगों का मिश्रण, गृहपति, पशुपालन के दिनों की तुलना में जीवन, युद्ध, राजा, बलि, यज्ञ की भूमिका में फर्क, वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन

7. महाजनपद के राजा: कबीलाई व्यवस्था से संगठित राज्यों का विकास, कर, सेना व अधिकारी वर्ग की उत्पत्ति, राजा की भूमिका में बदलाव, प्रमुख महाजनपद, सिकन्दर का आक्रमण

8. महाजनपद के नगर: विशेष कारीगरों व व्यापारियों का उदय, सिक्कों व लिखाई का उपयोग, महानगर, दूर-दूर तक व्यापार, सामाजिक रिश्तों में बदलाव

9. नए प्रश्न नए विचार: आश्रमवासी मुनियों, परिव्राजकों, श्रमणों व भिक्षुओं की दुनिया, उपनिषद, जैन, बौद्ध, चारवाक व आजीविक मतों के मुख्य विचार, लोगों की चिन्ताएं व जिज्ञासाएं

10. राजा अशोक: मौर्य साम्राज्य की स्थापना, यूनानियों से संबंध, राजा अशोक की विशिष्ट भूमिका, 'धम्म', शिलालेख

11. विदेशों से व्यापार व संपर्क: शक, सातवाहन, कुषाण व यूनानी राज्य, सिक्कों पर प्रभाव, मथुरा व गान्धार शैली की शिल्पकला, विज्ञान और व्याकरण का विकास, ईसाई धर्म का आना

कक्षा-7

1. गुप्त वंश: उत्तरापथ और दक्षिणापथ के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त की नीति, इस नीति की प्राचीन काल की नीति से तुलना, शिलालेखों से जानकारी प्राप्त करना

2. खेती का विस्तार: पूर्व मध्ययुग में खेती और बसाहट का फैलना, अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में सिंचाई व्यवस्था, नए शहरों का बसना

3. पूर्व मध्ययुगीन राजनैतिक स्थिति की विशेषताएं: राजवंश कैसे बने, प्रशस्ति व वंशावली, ब्राह्मणों को बसाना, पूरे भारत में राजवंशों का उदय, राजाओं के आपसी रिश्ते, युद्ध, सामंत और अधिपति राजा, मध्य कालीन सामंत व्यवस्था और प्राचीन व्यवस्था में तुलना

4. सन 600 से 1100 के बीच की महत्वपूर्ण जानकारियां: ह्यून त्सांग, हर्ष और समकालीन राजा, पाल-प्रतिहार-राष्ट्रकूटों का त्रिकोणीय संघर्ष, अलबिरूनि, भोज और समकालीन राजा

5. वन, गांव व शहर के लोगों का जीवन: उत्तर भारत: अधिकारियों को वेतन के बदले गांव मिलना, गांव के लोगों से लगान की वसूली, लगान का उपयोग, आज से तुलना

दक्षिण भारत: किसानों की सभाएं व स्वशासन, ग्रामीण समाज की संरचना, बह्मदेय गांवों में ब्राह्मण ज़मींदार और वेल्लाल बटाईदार, गांव के मंदिर, गांवों में न्याय व्यवस्था

वन: शबर लोगों का जीवन, शिकार, खेती, उनकी बस्ती व घर, और वर्तमान से तुलना

शहर: शिलालेख के माध्यम से शहरी जीवन (राजा, व्यापारी, मंदिर, कारीगर आदि) के बारे में जानकारी खोजना, मध्यप्रदेश के प्राचीन शहर

6. मध्यकालीन समाज व जाति व्यवस्था: जाति और धन्धे में अन्तर, जाति व्यवस्था का विकास: शिकारी मानव के समय का समाज, जनपदों के समय से जाति का बनना, शिकारी से 'अछूत' जातियों का बनना, जातपात के नियमों का बनना, कबीलों से जातियों का बनना, ऊंच-नीच का भेदभाव और उसका विरोध

7. मध्यकाल में धर्म: आज पूजे जाने वाले देवी-देवता और पूजा के तरीके, प्राचीन काल में शिकारियों का धर्म, खेतिहर लोगों के धर्म, वैदिक धर्म, शैव व वैष्णव संप्रदाय - इनमें आपसी मेलजोल, भक्ति आंदोलन

इस्लाम धर्म की शुरुआत व फैलना भारत में इस्लाम का आगमन, सूफी संत और भक्त संतों का मेल मिलाप, मुसलमानों के साथ भारत में आयी नई बातें

8. तुर्कों का राज्य बनना: पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद ग़ोरी के बीच संघर्ष और ग़ोरी की विजय के कारण, अलग-अलग इतिहासकारों के मतों की समीक्षा

9. तुर्की शासन व्यवस्था और आम लोग: तुर्की शासन में अधिकारी, सुल्तानों का हारे हुए राजाओं से संबंध, अक्ता प्रणाली, अलाउद्दीन खलजी द्वारा भू-राजस्व व्यवस्था में बदलाव और गांव के मुखियाओं व पटवारियों पर असर। सल्तनत का विस्तार व विघटन

10. स्रोत सामग्री और इतिहास लेखन की समस्याएं: मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन, इस विषय में दो इतिहासकारों - एसामी और बरनी के विवरण, इनकी तुलना द्वारा वस्तुस्थिति तक पहुंचने का अभ्यास

11. वास्तुकला: प्राचीन काल से मध्यकाल तक वास्तुकला व चित्रकला का इतिहास: स्तूप, गुफा मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, विभिन्न मंदिर-शैलियों की तुलना, इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं और भारत में शैलियों का मिश्रण

कक्षा-8

1. मुगल साम्राज्य की राजनैतिक प्रक्रियाएं (आरंभिक काल): मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, मुग़ल बादशाह और अमीरों के रिश्ते, अकबर बादशाह द्वारा शक्ति के केन्द्रीकरण के प्रयास, हिन्दुस्तानी लोगों को अमीर बनाने का प्रयास, राजपूतों के प्रति नीति, धार्मिक नीति में उतार-चढ़ाव और सुलह-ए-कुल की नीति

2. मुगल शासन व्यवस्था: मनसबदार, उनकी नियुक्ति, ज़िम्मेदारियां, जागीर व्यवस्था, तबादला, अमीरों का भोगविलासमय जीवन, वर्तमान प्रशासन प्रणाली से तुलना

3. मुगलकाल में किसानों की दशा: गांव, भोजन, रहन-सहन, खेती, लगान का बोझ. मुग़लों के समय में लगान व्यवस्था में बदलाव, लगान वसूली के तरीके, कर्ज़ में दबे किसान, करों में बढ़ोत्तरी और ज़मींदारों व किसानों की प्रतिक्रियाएं

4. मुगल साम्राज्य की राजनैतिक प्रक्रियाएं (उत्तर काल): औरंगज़ेब, किसानों व ज़मींदारों के विद्रोह, जाटों व सिखों का विद्रोह, लगान में कमी, जागीरों की कमी, औरंगज़ेब द्वारा राज्य फैलाने के प्रयास की विफलता, शिवाजी और मराठा राज्य, औरंगज़ेब की धार्मिक नीति, जागीरों की कमी और मुग़ल साम्राज्य का पतन

5. विदेशों से व्यापार एवं यूरोपियों का आगमन: बंदरगाह, चुंगी, टकसाल, बंदरगाह का संचालन, व्यापारियों का जीवन, अंतर्देशीय व्यापार, समुद्रीयात्रा, यूरोपीयों का आना, पुर्तगालियों का हिन्द महासागर पर साम्राज्य, भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़

6. भारत में अंग्रेज़ों के राज्य का बनना: ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक शक्ति, भारतीय राजाओं द्वारा उसका उपयोग, कंपनी द्वारा राजनैतिक दखल और राज्य हड़पना, अंग्रेज़ी राज्य से असंतोष और 1857 का विद्रोह, विद्रोह की असफलता और विद्रोह के पश्चात अंग्रेज़ों की नीतियों में बदलाव

7. आधुनिक भारत में समाज सुधार के प्रयास: अंग्रेज़ी शिक्षा और उसका असर, समाज सुधार के प्रयास व उनका विरोध, महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास- सती प्रथा विरोध, विधवा विवाह, शिक्षा आदि, पंडिता रमाबाई, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, मुसलमानों में समाज

सुधार, जाति प्रथा के विरोध में आंदोलन और दलित शिक्षा - स्वतंत्रता बाद सामाजिक समस्याएं

8. अंग्रेज़ी शासन में भारत के किसान: लगान वसूली के नियमों में बदलाव, मुग़ल प्रणाली से तुलना, विदेशी व्यापार का किसानों पर असर, कर्ज़ के भार में वृद्धि और साहूकारों के खिलाफ आंदोलन, लगान में बढोत्तरी और बाड़दौली सत्याग्रह, ज़मींदार और किसानों के रिश्तों में बदलाव, ज़मींदारों का अत्याचार और किसानों का आंदोलन (अवध व तेलंगाना) स्वतंत्रता के बाद किसानों की समस्याएं

9. अंग्रेज़ी शासन में जंगल और आदिवासी: अंग्रेज़ों के समय जंगल के उपयोग में आए बदलाव, जंगलों को खतरा, वन विभाग का बनना, वन कानून, अंग्रेज़ों से पहले आदिवासियों का जीवन, व जंगल का उपयोग, अंग्रेज़ों के समय बने कानूनों का आदिवासियों पर असर, आदिवासियों का जंगल व ज़मीन पर अधिकार छिना जाना, आदिवासियों का विद्रोह, संथाल विद्रोह, सीताराम राजु कुमाऊं वन विद्रोह, स्वतंत्रता के बाद जंगल और आदिवासियों की स्थिति

10. अंग्रेज़ शासन में उद्योग व मज़दूर: अंग्रेज़ों के कारण भारतीय बुनकर उद्योग का पतन, नए कारखानों का लगना और उनके विकास में रुकावटें, भारतीय उद्योगों के प्रति अंग्रेज़ों की नीति और उसमें बदलाव, स्वतंत्रता के बाद उद्योग. भारत में औद्योगिक मज़दूरों का उभरना, उनके हालात और संघर्ष, और श्रम कानूनों का बनना, स्वतंत्रता के बाद मज़दूरों की स्थिति,

11. अंग्रेज़ शासन में मध्यमवर्ग: अंग्रेज़ों व भारतीयों के बीच भेदभाव, शासन में भारतीयों की भागीदारी न होना, लोकतंत्र के लिए संघर्ष की ज़रूरत

12. राष्ट्रीय आंदोलन: राष्ट्रीय आंदोलन का अनुभव, कांग्रेस की स्थापना, लोकमान्य तिलक, बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन, हिंसात्मक क्रांतिकारी आंदोलन, गांधीजी का अंहिसा और सत्याग्रह का विचार, असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, समाजवादी विचार, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत-पाकिस्तान विभाजन, रियासतों का भारत गणसंघ में मिलाया जाना

भूगोल

कक्षा-6

1. मानचित्र: दिशा परिचय, मानचित्र में दिशा, चित्र और मानचित्र में फर्क, मानचित्र में चिन्ह, दिशा, पैमाना, कक्षा का मानचित्र बनाना, मानचित्र में सीमा, गांव का मानचित्र, तहसील के मानचित्र में गांव, शहर, सड़कें, रेल-मार्ग, नदी, जंगल, सुविधाएं, आदि, विश्व के मानचित्र में जल और स्थल, महाद्वीप और महासागर, भूमध्य रेखा, कर्क और मकर रेखा, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव

2. थल मंडल: मैदान, पहाड़ और पठार: तीनों स्थलाकृतियों में अंतर, मध्यप्रदेश में मैदान, पहाड़ और पठार

3. मैदान में जीवन: नदियों का मैदान, मैदान में मिट्टी और ज़मीन का उपयोग, मैदान में सिंचाई की सुविधा, फसलें, घनी आबादी और बस्ती, विकसित बाज़ार, सघन खेती और मज़दूरों की कमी

4. पहाड़ में जीवन: पहाड़ व जंगल, सड़कें, विरल बसाहट, पहाड़ी भूमि और मिट्टी, ज़मीन का उपयोग, खेतों में फसलें, बाड़ों में फसलें, पानी व सिंचाई की समस्या, जंगल के उपयोग पर प्रतिबंध, पहाड़ों में जीविका की समस्या और पलायन

5. पठार में जीवन: पठार की धरती - पथरीले व समतल हिस्से, पठार में तालाब बनाने की सुविधा एवं कुंए खोदने में कठिनाई, खेती व फसलें, वृक्षारोपण, घर व बसाहट व यातायात के साधन, मैदान, पहाड़ व पठार के जीवन में समानताएं व फर्क

6. एशिया महाद्वीप: एशिया के देश, एशिया - प्राकृतिक बनावट (मैदान, पठार, पहाड़, नदियां)

7. एशिया के भूमध्य रेखीय प्रदेश - इंडोनेशिया: स्थिति, प्राकृतिक बनावट, भूमध्यरेखीय प्रदेश, भूमध्यरेखीय जलवायु, वनस्पति (भूमध्यरेखीय वन) व पशु-पक्षी, वनों का उपयोग, खेती-पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत, मसालों व धान की खेती, खनिज व उद्योग, सीमित क्षेत्र में घनी आबादी, ज्वालामुखी

8. शीतोष्ण कटिबन्ध के प्रदेश - जापान: स्थिति, प्राकृतिक बनावट, जलवायु, भूमध्यरेखीय प्रदेश से तुलना, प्राकृतिक वनस्पति, खेती- खेत, फसलें व मशीनीकरण, मछली उद्योग, उद्योग और व्यापार पर निर्भर देश, यातायात, प्रदूषण, भूकंप

9. एशिया के ध्रुवीय प्रदेश - टुंड्रा प्रदेश: स्थिति, जलवायु, ध्रुवीय प्रदेश में दिन-रात व सर्दी-गर्मी, प्राकृतिक वनस्पति, चुक्ची लोगों का जीवन, गर्मी व सर्दी में जीवन, शिकार, मछली मारना, घर, कपड़े, भोजन आदि, रेंडियर पालन, खनिज व उद्योग

10. एशिया के शुष्क प्रदेश (ईरान): स्थिति, प्राकृतिक बनावट, जलवायु, पठार, रेगिस्तान, पशुपालन, नखलिस्तान, पहाड़ी प्रदेश तथा तटीय मैदान, खनिज तेल व उद्योग

कक्षा-7

1. मानचित्र: शाला का मानचित्र बनाना, ऊंचाई का मानचित्र: कैसे बनता है, कैसे पढ़ना है, और उनका उपयोग

2. जल मंडल: वर्षा और नदियां: वाष्पीकरण, बादल बनना व बरसना, भारत में हवा की दिशा व वर्षा, भारत में वर्षा का वितरण, नदियां व ढाल, मध्यप्रदेश की नदियां, जलचक्र, सूखा और बाढ़, वनस्पति का महत्व.

3. भू-जल भंडार: भूजल भंडार का बनना, विभिन्न किस्म की चट्टानें और भू-जल का भरना, नर्मदा घाटी में भू-जल, पठार में भू-जल, भू-जल की मात्रा, सिंचाई और भू-जल

4. मिट्टी: मिट्टी का बनना, धरातल की बनावट और मिट्टी, मिट्टी का वर्गीकरण (कण/रंग), मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता, मिट्टी का कटाव और उसे रोकने के उपाय

5. यूरोप महाद्वीप: यूरोप के देश, यूरोप के मैदान, पहाड़, पठार व नदियां, प्रायद्वीप व सागर, जलवायु हवाएं और समुद्र का प्रभाव (पछुवा और व्यापारिक हवाएं और गर्म जल धाराएं) यूरोप के लोग और समुद्र: भारत और अमरीका के लिए जहाज़ मार्ग की खोज, यूरोपीय लोगों का विश्व भर में जाकर बसना

6. यूरोप का औद्योगिक विकास: यूरोप में कृषि क्रांति, मज़दूर वर्ग का उदय, कारखानों का विकास, मज़दूरों के हालात, कोयले की खोज, उद्योगों में कोयले का उपयोग, मशीनों का आविष्कार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

7. यूरोप का एक देश - फ्रांस: प्राकृतिक बनावट, जलवायु, ऋतुएं और कृषि, पशुपालन, फार्म और आधुनिक खेती, खदान, खनिज और उद्योग, फ्रांस में उद्योगों का वितरण

8. अफ्रीका महाद्वीप: अफ्रीका और दूसरे महाद्वीप के लोग, अफ्रीका का तटीय और भीतरी प्रदेश, जलवायु, वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, दास व्यापार और यूरोपियन देशों का अफ्रीका पर कब्ज़ा, स्वतंत्र अफ्रीका

9. मध्य अफ्रीका का देश: नाईजीरिया: स्थिति, भूमध्यरेखीय प्रदेश, सवाना और सूखे प्रदेश, प्राकृतिक बनावट- तटीय मैदान, नदी की घाटी एवं पठार, खेती- फसलों का वितरण, दक्षिणी और उत्तरी नाईजीरिया की तुलना, खनिज तेल और औद्योगिक विकास

10. दक्षिण अफ्रीका का एक देश - ज़िम्बाबवे: स्थिति, संक्षिप्त इतिहास, प्राकृतिक बनावट, जलवायु, सवाना प्रदेश, वन्य पशु, पशुपालन और खेती, उत्खनन और उद्योग, व्यापार और आयात-निर्यात, खनिजों का उपयोग

कक्षा-8

1. तापमान: शरीर का तापमान, हवा का तापमान, हिमांक और हिमांक से कम तापमान, औसत मासिक तापमान, वार्षिक तापमान, सम और विषम जलवायु और तापमान पर समुद्र का प्रभाव, ऊंचाई और तापमान, भूमध्य रेखा और ध्रुवों में तापमान, तापमान का मानचित्र: भारत में सर्दी और गर्मी में तापमान वितरण

2. हवा का दबाव: इस अवधारणा को कैसे पढ़ाया जाए, इस पर शोध चल रहा है. इस विषय पर लिखा एक प्रायोगिक पाठ छात्रों के लिए उपयुक्त न पाये जाने के कारण कक्षा 8 की पुस्तक से हटा दिया गया है.

3. उत्तरी अमरीका महाद्वीप: स्थिति, प्राकृतिक बनावट, जलवायु, जलवायु में पर्वतों की भूमिका, रेगिस्तान, तापमान व वर्षा वितरण एवं प्राकृतिक वनस्पति

4. अमरीका के आदिवासी और यूरोपियनों का बसना: विभिन्न भागों में रहने वाले आदिवासियों का जीवन और उनके द्वारा ज़मीन का उपयोग, कोलम्बस की खोज, यूरोपीय लोगों का अमरीका की ओर पलायन, अमरीका में यूरोपियनों का बसना और अफ्रीकी दासों का लाया जाना, संयुक्त राज्य अमरीका का बनना, यूरोपियनों व आदिवासी अमरीकनों के बीच संघर्ष, उत्तरी अमरीका के देश

5. ग्रेट प्लेन्स: स्थिति और जलवायु, ग्रेट प्लेन्स में पशुपालन की सुविधा और पशुपालन का विकास, रेंचों में पशुपालन, ग्रेट प्लेन्स में खेती करने में कठिनाईयां और उनका निराकरण, फसलें, एक फसल की खेती (मोनोकल्चर), खेतिहर इलाकों व औद्योगिक इलाकों का रिश्ता, अमरीकी खेती की विशेषताएं

6. संयुक्त राज्य अमरीका के उद्योग: अमरीका के उद्योगों की खास बातें, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य में उद्योग लगाने की सुविधायें और उद्योगों का विकास, विभिन्न उद्योगों का वितरण

7. मानचित्रों में भारत: प्राकृतिक बनावट (मैदान, पठार, पहाड़, व नदियां), राजनैतिक, प्राकृतिक, वर्षा का वितरण, वन, सिंचित प्रदेश, धान, गेंहू, मोटे अनाज, व्यापारिक फसलों की खेती, खनिज सम्पदा, जनसंख्या वितरण के मानचित्रों का अध्ययन

8. हिमालय पर्वत: जीवन और विकास: स्थिति व विस्तार, जलवायु, नदियां, प्राकृतिक वनस्पति, पश्चिमी हिमालय में पशुपालन, सीढ़ीनुमा खेत, सड़क व यातायात का विकास और उसका चौमुखी प्रभाव: बिजली और उद्योग धंधे, जंगलों का नष्ट होना और उसका प्रभाव, हिमाचलियों का पहाड़ों से पलायन

पूर्वी हिमालय: में वर्षा और वन, झूम खेती, चाय के बगान, आदिवासियों का विकास

9. दकन का पठार: स्थिति एवं भाग, मिट्टी, वर्षा की कमी, सूखे की समस्या एवं सिंचाई के साधन, उत्खनन: परासिया की खदान: खदान के खतरे व सुरक्षा, उत्खनन काम, खुली खदाने और

उनके कारण समस्याएं तथा भारी उद्योग, आदिवासी और उद्योगों का विकास

10. तटीय मैदान एवं समुद्री तट: समुद्र तट और नदी के मुहानों के प्रकार, डेल्टा प्रदेश में मिट्टी, सिंचाई व खेती, पूर्वी तट के सूखे प्रदेश, मछुआरों का जीवनः मछली पकड़ना, बेचना, बड़े-छोटे मछुआरे, मशीनीकरण और मछुआरे, प्रदूषण का मछुआरों पर असर

11. उत्तर का मैदान: उत्तर के मैदान के तीन भाग, सतलज बेसिनः जलवायु, सिंचाई की ज़रूरत, बंगाल/असम का मैदानः सतलज बेसिन से तुलना, उत्तर-प्रदेश का मैदान, सिंचाई और हरित क्रांति, सघन खेती और बसाहट, जनसंख्या की सघनता, सघन खेती के कारण, कृषि आधारित उद्योग

12. थार मरुस्थल: राजस्थान की प्राकृतिक बनावट, वर्षा, मरुस्थल में जीवनः जल संचयन, खेती, भेड़ पालना, भेड़ पालकों का यात्रा चक्र, सूखे की समस्या, मरुस्थल में सिंचाई और उसके परिणाम

● ● ●

नागरिक शास्त्र

कक्षा-6

1. एक दूसरे पर निर्भरता: व्यक्ति की व्यक्ति पर निर्भरता, गांवों की शहरों पर निर्भरता, क्षेत्रों के बीच निर्भरता

2. आर्थिक लेनदेन की व्यवस्थाएं: स्थायी दुकानें, साप्ताहिक बाज़ार, मण्डियां, नीलामी, थोक और फुटकर व्यापार, कानून द्वारा नियंत्रण, व्यापारी, किसान, खरीददार की स्थिति, आढ़त प्रथा और मंडी समिति

3. ग्राम पंचायत: सार्वजनिक सुविधाओं का अर्थ व महत्व, पंचायत का गठन, मतदाता सूची, चुनाव क्षेत्र, पंच, सरपंच, बैठक, कार्य, आय के साधन, जनपद पंचायत की भूमिका, पंचायत के कार्यों में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतें व उनसे जूझने में गांव वासियों की भूमिका, ग्राम सभा

4. नगरपालिका, नगर-निगम: गठन, कार्य, आय के साधन, नगरपालिका के काम की कमियां व कठिनाईयां, शहर वासियों द्वारा उनसे जूझने के तरीके, प्रतिनिधि और प्रशासक में अन्तर व प्रतिनिधि का महत्व

5. गांवों की स्थिति और कृषि में बदलाव: आधुनिक कृषि से आए बदलाव, छोटे किसानों, बड़े किसानों, मध्यम किसानों व खेतिहर मज़दूरों के जीवन में आए परिवर्तन, ऋण, कृषि के नए साधन, फसल की बिक्री और प्राप्त आमदनी, भूमिहीन मज़दूरों की समस्याएं

6. जिला प्रशासन: गांव, मोहल्ले, तहसील और ज़िले के संबंध की समझ, मानचित्र में तहसील और ज़िले पहचानना, अधिकारी व कर्मचारी - विशेषकर पटवारी, तहसीलदार और जिलाधीश - इनके कार्यक्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में संबंध व फर्क, प्रशासन कानून लागू करता है, बनाता नहीं है, ज़िले और राज्य का संबंध, मानचित्र में ज़िले व राज्य की सीमाएं व क्षेत्र समझना

7. राज्य सरकार: देश और राज्यों की समझ, मानचित्र में सीमाएं समझना, विधायक का चुनाव, विधान सभा का काम, मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सरकार और प्रशासन (इस पर पहले व दूसरे संस्करण में पाठ था, पर संतोषजनक न होने के कारण नए संस्करण से हटाया गया है)

कक्षा-7

1. औद्योगिक संगठनों के प्रकार: उद्योग क्या है, कच्चा माल क्या है, कारीगर के स्तर पर परिवार द्वारा उत्पादन, कच्चा माल खरीदना, तैयार माल बेचने की प्रक्रिया व हिसाब-किताब, ठेकेदारी प्रथा से औद्योगिक उत्पादन की व्यवस्था, ठेकेदारी, मज़दूरों की कमाई, ठेकेदार व मिल मालिक के संबंध, छोटे कारखानों में उत्पादन की व्यवस्था व तकनीकी स्तर, बड़े कारखाने में उत्पादन व्यवस्था, तकनीकी स्तर और मज़दूरों की स्थिति, उत्पादन के इन विभिन्न तरीकों के बीच

तुलना : इतिहास में औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थाओं का क्रमशः विकास

2. न्यायिक प्रशासन व नियम: कोटवार की भूमिका, थाने में रपट की प्रक्रिया, थाने के कार्य का तरीका, जमानत, ग़ैर-जमानती जुर्म, दीवानी और फौजदारी मामले, कचहरी में वकीलों व पेशियों की प्रक्रिया, पहली श्रेणी के जुडीशियल मजिस्ट्रेट, सेशन्स कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक ढांचे की समीक्षा, समांज पंचायत, ग्राम पंचायत की भूमिका

3. संविधान और मौलिक अधिकार: संविधान के अंग व भाग, संविधान बनने का इतिहास, मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्त्तव्यों का परिचय, वास्तविक उदाहरण व समीक्षा

4. मुद्रा का विकास व भूमिका: मुद्रा, पूर्व समाजों में लेनदेन के तरीकों के उदाहरण, समस्याएं, मुद्रा की ज़रूरत व भूमिका

कक्षा-8

1. बैंक: बचत, लेनदेन के तरीके, बैंक में जमा राशि का उपयोग, तरह-तरह के ऋण, राष्ट्रीकरण

2. टैक्स: केन्द्र व राज्य में बजट बनना, अलग-अलग कर, करों का प्रभाव, खरीददार पर भार, अलग-अलग करों से सरकार को आय व करों को इकट्ठा करने में दिक्कतें, कर लगाने की नीति के पहलू

3. सरकार: लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का विश्व में इतिहास, भारत में लोकतंत्र, लोक सभा व राज्य सभा का गठन, कानून बनाने की प्रक्रिया, केन्द्र व राज्य के बीच कानून बनाने के अधिकार का बंटवारा, मंत्रिपरिषद् का गठन, मंत्रिपरिषद का काम, लोक सभा का मंत्रीमंडल पर नियंत्रण, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव व उनकी भूमिका, लोकतंत्र में न्यायालय का महत्व, लोकतंत्र में जनमत का महत्व

4. विकास की समस्याएं और पंचवर्षीय योजनाएं: देश का पिछड़ापन, अंग्रेजी शासन का प्रभाव, विकास की नीति के बारे में उद्योगपतियों के, गांधीवादियों के व समाजवादियों के अलग-अलग विचार, योजना बनाने का तरीका, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाओं का परिचय

5. भारत सरकार की कृषि नीति: स्वतंत्रता के बाद कृषि की समस्याएं, 1950 से 1965 तक कृषि में विकास की योजनाएं, अनाज का संकट और विदेशों से आयात, नई कृषि नीति या हरितक्रांति के मुख्य पहलू, हरित क्रांति की समीक्षा

6. बुनियादी उद्योग लगाने की नीति: देश का औद्योगिक पिछड़ापन और उसका कारण, औद्योगिकरण की ज़रूरत व समस्याएं, बुनियादी उद्योग किसे कहते हैं, बुनियादी उद्योगों का महत्व व सरकार द्वारा इस ज़िम्मेदारी को उठाने की आवश्यकता, स्वतंत्रता पश्चात लगाए गए प्रमुख बुनियादी उद्योग व उनकी कमियां व उपलब्धियां, रोज़गार की समस्या

7. ग़रीबी और उसे दूर करने की योजनाएं: ग़रीबी रेखा, ग़रीबों का जीवन, भूमिसीमा कानून और भूमि वितरण की समस्याएं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और उसकी समीक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम और उसकी समीक्षा

परिशिष्ट 2

प्रश्न पत्र के नमूने

प्रथम प्रश्नपत्र

इतिहास और नागरिक शास्त्र

प्र.1 केवल ग़लत वाक्यों को सुधार कर लिखो:

क. बचत खाते में जमा पैसों पर बैंक ब्याज नहीं देते हैं.

ख. क्रॉस चेक देने पर बैंक नगद पैसे देती है.

ग. बचत खाते से रोज़ाना पैसे निकाले जा सकते हैं.

घ. बैंक से केवल बड़े कारखानों के मालिक ही ऋण ले सकते हैं.

ड. मियादी खाते में ज़्यादा ब्याज मिलता है.

प्र.2 क. भारत सरकार कौन-कौन से प्रमुख कर वसूल करती है?

ख. 1990-91 में आमदनी कर वसूल करने के क्या नियम थे?

ग. क्या तुम्हें ये नियम सही लगते हैं? कारण सहित समझाओ.

प्र.3 क. इंग्लैण्ड में जब पहले संसद बनी तो कौन-कौन लोग वोट डाल सकते थे और कौन नहीं?

ख. भारत में आज वोट डालने के नियमों और इंग्लैण्ड की पहली संसद के नियमों में क्या अन्तर हैं?

ग. भारत के कानून कौन बनाता है? कानून किंस प्रकार बनते हैं? वर्णन करो.

प्र.4 क. स्वतंत्रता के समय भारत के उद्योग की कम से कम दो मुख्य समस्याएं लिखो.

ख. यदि सरकार स्वतंत्रता के बाद बुनियादी उद्योग नहीं लगाती या निजी लोगों को लगाने देती तो उद्योग में क्या समस्याएं होतीं?

प्र.5 ग़रीबों के लिए बनाए गए रोज़गार कार्यक्रमों की कम से कम तीन कमियां लिखो.

प्र.6 खाली स्थान भरो:

क. ..... को अपने साथ करने के लिए अकबर ने ..... में यात्रा कर और 1564 में ..... हटाया.

ख. अकबर के शासन की शुरुआत में उसके राज्य में केवल ..... और ..... अमीर थे.

ग. 1580 के बाद अकबर ने ..... की नीति अपनाई.

घ. मुग़ल मनसबदारों की नियुक्ति ..... करता था.

ड. औरंगज़ेब के शासनकाल में अमीरों को देने के लिए ..... की कमी पड़ने लगी.

च. शिवाजी ने ..... राज्य के लोगों से ..... नामक लगान वसूल किया.

प्र.7 मुग़लकाल में लगान किस तरह वसूल की जाती थी? अपने शब्दों में वर्णन करो.

प्र.8 क. अंग्रेजों ने ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक क्यों माना? मुग़लकाल में ज़मीन का मालिक कौन होता था?

ख. ज़मींदारों को मालिक मानने से किसानों पर क्या असर पड़ा? अपने शब्दों में समझाओ.

प्र.9 पृष्ठ 101 पर बने चित्र का वर्णन करो. चित्र में क्या-क्या दिख रहा है? ये चीज़ें कहां से ले जाई जा रही हैं? इस चित्र में जो लोग दिख रहे हैं, वे कौन हैं? वे क्या कह रहे हैं? क्या वे एक दूसरे की बात मान रहे हैं?

प्र.10 क. अंग्रेज़ काल में वन विभाग ने जंगल बचाने के लिए लोगों पर क्या-क्या रोक लगाई?

ख. माण्डिया साहूकार का बन्धुआ मज़दूर क्यों बना? समझाओ.

प्र.11 1920-22 में हुए असहयोग आंदोलन में भारत के लोगों ने अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए क्या-क्या किया? पांच मुख्य बातें लिखो.

द्वितीय प्रश्न पत्र

भूगोल

प्र.1 अमेरिका के आदिवासी और यूरोपीय दोनों ही बाइसनों का शिकार करते थे. किन्तु उनके द्वारा बाइसन के उपयोग में बहुत अंतर था. यह अंतर क्या था, समझाओ.

प्र.2 भारत के तटीय मैदानों में रहने वाले मछुआरों के जीवन की परेशानियों और खतरों के बारे में तुम क्या जान पाए? विस्तार से वर्णन करो।

प्र.3 पुस्तक के पृष्ठ 220 का मानचित्र देखकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखो-

क. कोलम्बिया नदी किस दिशा में बहती है, किस सागर में गिरती है?

ख. मेकेंज़ी नदी किस दिशा में बहती है, किस सागर में गिरती है?

ग. कौन-सी नदी भूमध्यरेखा से ज़्यादा दूर है - मेकेंज़ी या रेड नदी?

घ. जाड़े के मौसम में किस नदी का पानी बर्फ बन जाता होगा- मैकेंज़ी का या रेड का?

ड. इनमें से कौन-सी जगह समुद्र के किनारे हैं- डेन्वर, विन्निपेग, नारफोक, सेन फ्रानसिस्को?

प्र.4 क. यहां तीन जगहों का जाड़े और गर्मी का तापमान दिया गया है। हर जगह के बारे में कारण सहित समझाओ कि वहां की जलवायु को तुम सम जलवायु कहोगे या विषम?

जगह	जनवरी का तापमान	मई का तापमान
क.	15	30
ख.	25	30
ग.	26	28

ख. पुस्तक के पृष्ठ 215 और पृष्ठ 216 के नक्शों को देखकर खाली स्थान भरो-

अ. मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में जाड़े में औसत तापमान ..... सेल्सियस से ..... सेल्यिस के बीच रहता है.

ब. मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी में औसत तापमान ..... सेल्सियस से ..... सेल्सियस के बीच रहता है.

स. जाड़े में अगर हम श्रीनगर से मद्रास की ओर चलें तो औसत तापमान ..... होता जाता है.

द. पृष्ठ 216 के नक्शे में देखो कि बैंगलोर से हैदराबाद कितने सेन्टीमीटर की दूरी पर है? उतने सेन्टीमीटर लम्बी रेखा यहां खींचो.

य. नक्शे में दिए पैमाने के अनुसार एक सेन्टीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है? इस तरह हैदराबाद बैंगलोर से कितने किलोमीटर दूर हुआ?

प्र.5 क. अमेरिका के फार्मों के मालिक सैकड़ों एकड़ में एक ही फसल बोते हैं. यह बात पृष्ठ 247 के चित्र में किस तरह दिखाई दे रही है?

ख. सैकड़ों एकड़ में एक ही फसल बोने में क्या फायदा है?

प्र.6 उत्तरपूर्वी संयुक्त राज्य में कौनसी झीलें हैं - कोई दो नाम लिखो. इन झीलों के बीच बनी नहरें किस काम आती है समझाओ.

प्र.7 क. हिमालय पर्वत के खेतों और बगानों में क्या-क्या उगता है?

ख. हिमालय की नदियों में क्यों साल भर पानी रहता है?

प्र.8 पंजाब-हरियाणा के मैदान में नहरों से सिंचाई करना आसान क्यों है?

प्र.9 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो-

क. राजस्थान के किस भाग में मरुस्थल है?

ख. थार के मरुस्थल में क्या उगता है? दो उदाहरण लिखो.

ग. थार के मरुस्थल के लोग अपनी भेड़ों को चराने कहां ले जाते हैं? दो जगहों के नाम लिखो.

प्र.10 नीचे दी गई सूची में से छांट कर खाली स्थान भरो-

क. ..... नाम के ऊंचे पर्वत दकन के पठार का कगार हैं.

ख. दकन के पठार के ढलवां हिस्सों की मिट्टी ..... है पर बीच के ..... हिस्सों की मिट्टी गहरी और महीन है.

ग. दकन के पठार के अधिकतर भागों में वर्षा ..... होती है.

घ. दकन के पठार में ..... खेती में सिंचाई नहीं हो पाती है.

ड. दकन के पठार की ..... मिट्टी कपास के लिए अच्छी है.

(सूची- ज़्यादातर, कम, पथरीली, काली, पश्चिमी घाट, समतल)

PUBLICATION PROGRAMME
EDU...

संपर्क :

एकलव्य
ई - 1/208, अरेरा कॉलोनी
भोपाल - 462 016

एकलव्य
कोठी बाज़ार
होशंगाबाद - 461 001

एकलव्य
राधागंज
देवास - 455 001

एकलव्य
296, विवेकानन्द कॉलोनी
उज्जैन - 456 001

एकलव्य
सांडिया रोड
पिपरिया - 461 775

एकलव्य
नेहरु कॉलोनी
हरदा - 461 331

प्रकाशन : एकलव्य, कोठी बाज़ार, होशंगाबाद - 461 001
मुद्रण : आर्दश प्रिन्टर्स, भोपाल 462 011